

12-16 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-EIGHTH REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I beg to move:

"That this House agrees with the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 1st May, 1959."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 1st May, 1959."

The motion was adopted.

12-17 hrs.

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) AMENDMENT BILL— Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Mehr Chand Khanna on the 1st May, 1959, namely:—

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration."

Shri D. C. Sharma may kindly continue his speech.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Before we proceed with the Bill, I desire to raise a point of order. The point of order is that this Bill violates article 14 in that it denies equal protection of the law. The Bill specifically singles out displaced persons from among Government debtors for imprisonment for default of payment. Other Government debtors are not sent to prison for non-payment of debt. Now Government have

Amendment Bill

got a class of people who have to pay Government debts. Out of these debtors only these people are singled out for imprisonment; other Government debtors are not sent to prison. Therefore, equal protection of laws to a section of the Government debtors is denied and so it violates article 14. Apart from the fact that the provisions of the Bill are harsh, severe and all that, why should only displaced persons be singled out out of the whole lot of Government debtors for treatment of imprisonment for default? I submit that the Bill violates article 14 and is, therefore, out of order.

Mr. Speaker: All right, let me consider this matter. Let Shri Sharma continue his speech. In the meanwhile, I will consider the point of order.

An Hon. Member: What is the time left?

Mr. Speaker: I am afraid, no time is left. The time allotted was 1½ hours. Time already taken is 1 hour and 45 minutes. Now, are there many amendments to this?

Pandit Thakur Das Bhargava: (Hissar): There are many amendments.

Mr. Speaker: Let us consider it for half an hour more.

Pandit Thakur Das Bhargava: The amendments are to be moved.

Mr. Speaker: We will finish all the stages by quarter past one.

Shri Panigrahi (Puri): By 1-30.

Mr. Speaker: Let us see. Hon. Members will kindly be brief. Now, before I call upon the hon. Member to continue his speech, what has the hon. Minister to say regarding the point that has been raised by Shri Bharucha? Shri Bharucha says that the general law prevents the Government from exercising any right of arresting a displaced person for default in payment of debt.

Shri Nanshir Bhargava: I could understand a distinction being made between persons who are debtors of Government and persons who are debtors of private parties. I can understand distinction being made there. In this case, the Bill makes a distinction between Government debtors and Government debtors.

Pandit Thakur Das Bhargava: May I add that according to this law even debts which are barred by limitation are sought to be recovered by sending a person to jail? Ordinarily, no money can be recovered if it is barred by time.

Shri V. P. Nayar (Quilon): One departure must not justify the other.

Pandit Thakur Das Bhargava: Therefore, that also offends article 14, that is my submission.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Only one point is involved in Shri Bhargava's point of order: whether the refugees by themselves are a class of persons. If it is conceded that they are a class of persons by themselves then certainly a provision can be made, because that would amount to a reasonable restriction only.

Mr. Speaker: The hon. Minister has pointed out to me that all that is sought to be done under this Bill is to withdraw the exemption from arrest that is conferred under the original Act.

Pandit Thakur Das Bhargava: Only, the rights are not there for the Government to imprison a person. There is no exemption as such. Kindly see the whole Bill. Even the disability of the Government is now sought to be removed.

Shri Nanshir Bhargava: Now the exemption is sought to be withdrawn.

Mr. Speaker: That is all right. There are two things—one thing is to impose or clothe the Government with the

right to arrest some people as against some others; and another is to say that under an existing Act exemption was allowed and that exemption clause is removed. Am I to understand it that way?

Pandit Thakur Das Bhargava: No, Sir.

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): If you read section 21, it is clearly laid down there. This Act was passed by this House in 1956. There are three things, namely, that arrears can be realised as arrears of land revenue, that final authority will be the hierarchy of the Chief Settlement Commissioner and that even the law of limitation will not apply to these debts. These are the three things that are included in section 21 which was passed by this House. Then, with a view to give a certain amount of concession to a DP we inserted under clause 30 exemption from arrest.

Now, there are three stages where arrears of land revenue are to be realised. First is demand, second is attachment and the third is arrest. If Shri Bhargava objects to this little amendment which I have moved and which, I feel, is in the interest of the displaced person because I am providing him certain safeguards under section 30, how would he react if I were to say that this section 30 be abrogated totally? If section 30 is abrogated totally then the law, as it stands and is applicable to the ordinary national of the State shall apply. What would be his objection to that, that is, if we abrogate section 30? Now, I am asking for the amendment of section 30 in the interest of a displaced person. I am giving him safeguards.... (Interruption) and the safeguards are that instead of giving him to the civil authority, the tehsildar, naib-tehsildar and all that, I am asking his case to be dealt with and taken up at the highest level of the Chief Settlement Commissioner, who

[Shri Mehr Chand Khanna]

is the highest authority in my Ministry. But if it is felt that I am doing something which is not desirable and that instead of giving him certain concessions and not treating him as a normal citizen of the land, I am taking away certain rights then the best course would be to abrogate section 30. I am prepared to consider that, because the moment section 30 is abrogated, they will be at par with an ordinary national of the State and will be ordinary DPs.

Pandit Thakur Das Bhargava: Right to recover past debts which cannot be recovered from any other person in India is a piece of concession or is unredeemed tyranny?

Shri Mehr Chand Khanna: May I submit that this Act was passed by this House and, as you will see, in sub-section 3 of section 21 there is a specific provision that even the law of limitation shall not apply. That power has been given to me by this House. Today, after three years to say that this is *ultra vires* of the Constitution—if it was so, I am sure the friends of the DPs would have gone and taken a writ from the High Court or would have done something in that respect.

Pandit Thakur Das Bhargava: It was pointed out even at that time by me.

Mr. Speaker: I have got both sides. Now, objection has been taken by Shri Bharucha that this Bill makes a discrimination between one set of DPs and another set of DPs.

Shri Naushir Bharucha: One set of Government debtors and another set of Government debtors.

Mr. Speaker: Government debtors, in view of the addition of sub-clause 2 to existing section 30. Section 30 states:

"No person shall be liable to arrest or imprisonment in pur-

suance of any process issued for the recovery of any sum due under this Act which is recoverable as an arrear of land revenue."

It is open to this House to abrogate this altogether and withdraw this exemption. Instead of doing so, the hon. Minister says that he has clothed the Chief Settlement Commissioner with authority to decide in proper cases that this exemption may not apply. Instead of this, the alternative, as he says, is to move for its removal. Of course it is for the House to accept it or not to accept it. But under those circumstances he has gone half way, at any rate, to give some concession.

So far as the point that was raised by Thakur Dasji is concerned, limitation itself has been abrogated. It may be very harmful, but this House has passed it. Section 21, sub-section 3 says:

"For the purpose of this section a sum shall be deemed to be payable to the Custodian by notwithstanding that its recovery is barred by the Indian Limitation Act, 1908."

Hon. Members must submit to the Act that has been passed by this House so long as it stands on the statute book.

I do not find that there is any objection on the ground that it is discriminatory legislation. But anyhow it is for the House to decide such important matters on which there can be difference of opinion. The Speaker never takes the responsibility of deciding them himself. Therefore, hon. Members, who have heard both sides, should decide ultimately to accept or reject the Bill.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Speaker, Sir, I submitted last time that three constructive sugges-

tions have been made with regard to the improvement of this Bill. One of those was that the Bill should be circulated for eliciting public opinion. I think that only those Bills are circulated for public opinion where there is some conflict of opinion. Those are Bills which deal with the question of reforms—social, legal and juridical. I do not think that in a matter where debts have to be recovered and where obligations which have once been entered into and have to be discharged, we should seek public opinion. I think, public opinion in this matter is very clear and that is that obligations once undertaken must be fulfilled.

Again, it has been said that we should set up an evaluation committee for going into the whole gamut of refugee rehabilitation. I feel that it is too late in the day to do so. This problem has been with us all these years and I believe every hon. Member of Parliament, every public worker and every legislator all over India—everyone of these persons—has been doing consciously or unconsciously this work of evaluation. Persons come to us with their grievances and we bring them to the notice of the hon. Minister and other functionaries. So, I think that evaluation is being done on an individual level, which is much better than evaluation which may be done by any committee or, as you know, this kind of evaluation is much better than a collective kind of evaluation done by some hon. Members.

Then, it has been said that we should have a screening committee. I cannot understand what the screening committee is going to do. The screening committee is going to consist of the Secretary of the Rehabilitation Ministry, a representative of refugees and a Member of Parliament. I do not know whether the screening committee will have to sit perpetually or continuously or will be appointed for a particular period of time. I do not

think that these three wise men can solve this problem. I believe that they would not have much more material at their disposal, much more time at their disposal and much more discretion at their disposal than, I think, the Rehabilitation Minister has. I think all these are dilatory propositions. I do not think they are going to serve either the cause of justice or the cause of refugees or any cause of public utility. I therefore think that this is not the right thing to do.

Now, I feel that the process of rehabilitation has been going on for years and I agree entirely with the hon. Minister that we have broken the back of this problem and that only residual problems are now left. But I must say that even those residual problems are very urgent and are very very necessary. Those residual problems cannot be dealt with in a casual way or in an amateurish way, because these residual problems are human problems. They are not problems which can be dealt with in a way which should be, I should say, not sympathetic or humanitarian.

There is the residual problem of the refugees of Purana Qila. They came to me this morning. They want that they should not be treated as squatters but as allottees. They want that Government should provide them alternative accommodation in the form of cheap tenements and that kind of thing. There is the problem of Kingsway refugees to which my hon. friend, Shri Nayar, will refer. That Kingsway refugees problem is also there. These are bits and patches of problems—problems here, there and everywhere. I hope that these problems will be dealt with by the Ministry before it is wound up.

Shri Mehr Chand Khanna: The moment you treat a refugee in Purana Qila as an allottee, then, he will be entitled to the sale of the tenement in compensation, the idea being that the historical monument should be sold to him.

Shri D. C. Sharma: What I submit is that these Purana Qila allottees want that they should be given alternative accommodation somewhere, that they should be provided with cheap accommodation, that you should contribute Rs. 500 for the building of the tenement and the rest, they are prepared to contribute themselves. There are problems in Kingsway Camp. I should feel very ashamed of the fact that there should be such problems existing in Delhi where the Rehabilitation Ministry is continuing in session with an army of its officials and all that. I would like....

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): Is it a crime to live outside Delhi?

Shri D. C. Sharma: It is no crime to live outside Delhi. I said, — I think my hon. friend has not understood what I am saying in English—that the Ministry of Rehabilitation is here and these problems are existing under the very note of the Ministry and these problems remain unsolved. There may be problems in Rohtak, there may be problems in Gurgaon....

Ch. Ranbir Singh: Only the problems of Delhi should be solved: that was the idea.

Shri D. C. Sharma: My idea was this. These problems, I agree with the Minister, are residual problems and they all deserve to be solved. I have said that they have to be solved, not in an amateurish fashion, but resolved in a proper way. I said that it is very bad that there should be problems regarding the Purana Qila refugees, and Kingsway Camp refugees which are under the very nose of the Rehabilitation Ministry, which have not been solved all these days. My hon. friend does not understand the language of a refugee because he has never been a refugee.

Then, I come to the provisions of this Bill. We cannot put a premium on defaulting. Defaulting is a habit which must be put out of court so far

as our country is concerned. Defaulters of any kind should not be treated in a sympathetic manner. There is no doubt that. There are defaulters that demand consideration. We have to ask ourselves this question: what has made these persons defaulters: why are they defaulters. Are they wilful defaulters? Are they negligent defaulters? Are they habitual defaulters? Are they defaulters in the social justice sense of the term or defaulters in the criminal sense of the word? There has to be a distinction between all these kinds of defaulters. Therefore, I should say that you cannot hang all these defaulters by the same rope. You have got to discriminate between one type of defaulters and another type of defaulters.

It is true that the hon. Minister has provided certain safeguards so far as the treatment of these defaulters is concerned. He says that concessions have been given and in spite of these concessions, rent has accumulated. He said, "we have asked them to pay rents in instalments." We have said that the rents can be adjusted against their compensation whether it is due to them or other displaced persons. We have given all these concessions. The question is, if in spite of these concessions, some persons have not paid rent, what are you going to do about it. The hon. Minister says that he will let them be dealt with by the Chief Settlement Commissioner.

I have some idea of the Chief Settlement Commissioner and the way his office works. Once I had the misfortune to go with a deputation to the Chief Settlement Commissioner. I had with me about half a dozen persons who had come from outside Delhi. I went there and sent him a chit. I may tell you that I had to wait for 1½ hours and I could not get any access to the Chief Settlement Commissioner. Then, I tried to make a nuisance of myself, which I seldom do. After having made a nuisance of

myself, I told the clerk or whoever he was that I was leaving and I must have access to him immediately. When I created some kind of a hullabaloo about it, the clerk went to him and said, "this Member of Parliament is getting out of control." I was deliberately getting out of control. Then, I was ushered into the august presence of the Chief Settlement Commissioner. If a Member of Parliament going with a deputation of half a dozen persons who had come from outside can have this kind of access to the Chief Settlement Commissioner, this kind of response at the hands of the Chief Settlement Commissioner, this kind of treatment at the hands of the Chief Settlement Commissioner, I do not know what the fate of these unfortunate refugees is going to be at the hands of the Chief Settlement Commissioner. He may be an admirable person; he may be the best of persons in the world. But, I may tell you, I will not be a party to handing over these defaulters to the tender mercies of this Chief Settlement Commissioner. Therefore, I would say that the hon. Minister must think out some other way of giving them....

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): Give them over to the Tahsildar.

Shri D. C. Sharma: If you cannot find anybody you can hand them over to Ch. Ranbir Singh. He is getting out of control.

You have provided safeguards. I am for safeguards. You say that exemption from arrest will be withdrawn only in cases where the Chief Settlement Commissioner, after giving the defaulter an opportunity of being heard, is satisfied for reasons to be recorded that he should no longer enjoy such exemption. You have given some kind of a hope that he will have to write out why he is not going to give exemption. It is not very much of a guarantee. How much relief is it going to give him? The man may have a sad tale; the man may have a distressing tale. Will he be able to help them? Therefore

I say that this thing which is a burning human problem, which is a distressing human problem should not be dealt with in that manner.

Mr. Speaker, through you I address the Rehabilitation Minister. He has done good work, I do not deny that. Is he going to spoil the effect of his good work at the last minute? Is he going to wash off all the good work that he has done by throwing these persons to the Chief Settlement Commissioner or somebody else? I would say to him in his own interests, in the interests of the Rehabilitation Ministry, in the interests of the Government of India, in the interests of the citizens of India....

An Hon. Member: In the interests of recovery of rent.

Shri D. C. Sharma:...in the interests of recovery of rent also, that he must provide some other safeguard for the proper treatment of the refugees. There may be some bad cases: I do not deny that. Before the bar of law, before the bar of justice, every person should have a fair deal whether he is good, bad or indifferent.

An Hon. Member: Bar of public opinion.

Shri D. C. Sharma: There is also the bar of public opinion.

My hon. friend Pandit Thakur Das Bhargava said, if nothing else, you should give these persons the right of appeal.

I cannot understand why you should have this kind of drastic provision. It is a drastic Bill making a drastic provision for meeting a drastic situation. I do not see why you should not give these persons who are defaulters the chance to make an appeal against the Chief Settlement Commissioner. You say that this thing will get delayed. What of that? You say it is the question of the taxpayers, the rehabilitation scheme will be suspended, will be delayed, and so on.

[Shri D. C. Sharma]

What of that? I tell you, one person who has a sense of justice at your hands is much better than any number of persons who come to you with all kinds of appeals and get away with your generosity and other things. Therefore, I would request the hon. Minister through you, Sir, that he must make a provision for appeal.

If he thinks that his hands are too full, he has to go to East Bengal and so on, he can ask his deputy to do it. In this unfortunate country we have had a stream of refugees. We had refugees from West Pakistan; we had refugees from East Pakistan; and now I learn that we are going to have refugees from Tibet. I welcome that. We are having a stream of refugees.

Ch. Ranbir Singh: What about the Scheduled Castes who are also refugees?

Shri D. C. Sharma: Scheduled Castes are also refugees; you are also a refugee; I would also like to be a refugee, but I cannot.

I say that you should try to make a provision for appeal. If you cannot find the time for this, I would say that this appeal may be left to your Deputy Minister, or to some other functionary. If there is no functionary in your Ministry, you can find out one from some other Ministry. Against the decision of a senior Sub-Judge we go to the Sessions Judge, then to the High Court and to the Supreme Court. This is a matter where the Government itself is concerned. Where there is a dispute between two private persons we have provided for an appeal all along the line. Here there is going to be a dispute between a private person and Government. Any Government should not give any idea of being high-handed in the matter of its judgment or high-handed in the matter of execution of its policies. Therefore, you should provide for an appeal against the order of the Chief Settlement Commissioner. You

may ask the Deputy Minister to do it, or somebody else. But the ends of justice will not be met, I can assure you, if this appeal is not there.

My hon. friend Shri Sarhadi has been talking on the grounds of the Constitution, of law, of expediency. I am not entering into all those arguments, and I do not want to enter into them. But I would like to enter into an argument with the Minister on this score, that there should be no martial-law type of justice in this country, no summary type of justice in this country, no justice in this country where the person who is judged feels that he has not been given a fair deal. All the parties will be satisfied if you also provide for this appeal. This is the submission that I want to make, and I hope that this will give an opportunity to the Chief Settlement Commissioner and also the other authority to find out which case is deserving and which case is not deserving, which case is genuine and which case is bogus—all these things will be there. I therefore hope that the hon. Minister will agree to the suggestion that I have made.

श्री० रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : चूंकि यह दिल्ली की खास प्राबल्य है इसलिए दिल्ली वालों को भी चांस दिया जाये।

श्री मेहर चन्द लाला : वह तो सारे हिन्दुस्तान का मामला है।

श्री० रणवीर सिंह : दिल्ली से तो पैसा लेना है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के चक्कर जो भाई उबड़ कर भाये वे को तरह के हैं। एक भाई तो वे वे जिन की कि जमीनें बी

जिनके कि पास कागजात थे, सबूत थे कि उनके पास जमीन है, वे भी उजड़ कर भाये और कुछ उनके साथ जो वहां काम करते थे जिन्हें खेत मजदूर कह सकते हैं वह भी उजड़ कर भाये। उसी के साथ-साथ कुछ भाई जो बहा सहरों में रहते थे वे भी उजड़ कर भाये। देश के ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई और उस आपत्ति का मुकाबला इस देश ने ऐसे अच्छे ढंग से किया कि जितना कि दुनिया के किसी देश ने आज तक इतनी बड़ी आपत्ति का मुकाबला नहीं किया है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर रहने वाले ७, ८ करोड़ इंसान ऐसे हैं जो कि भाई उजड़ कर भाये उनसे कहीं बुरी हालत में है। उनका न कोई जरिया है न जमीन है और हमारी समाज ने आज नहीं सालों साल उनसे कोई न्याय नहीं किया।

पंचसाला योजना के अन्दर जो पक्के उजड़े हुए रेपयूजीज थे यानी शहयूल्ड कास्टम के लोग उन को पैरो पर खड़ा करने के लिये सिर्फ ६० करोड़ रुपया रक्खा जब कि यहा सैंकड़ो करोड़ो रुपया जो भाई उजड़ कर भाये उन के लिए खर्च हो चुका है। मुझे उनसे हमदर्दी है। उनमें से बहुत सारे भाई मेरे सूजे के रहने वाले हैं। अब यह तो बात सही है कि मैं रहने वाला तो ईस्ट पंजाब का हूँ लेकिन उसके साथ ही यह भी मही है कि कुछ हमारे रिस्तेदार भी उधर ने उजड़ कर भाये हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती यह है कि वह सब देहात से उजड़ कर भाये। कुछ अजीब हालत है इस कानून की और दूसरे कानून की भी और यह बैठे हैं मेरे साथी श्री अजित सिंह सरहद्दी जो देश की विधान की किताब को उठाये फिरते हैं और यह दावा करते हैं कि बार दिन के भीतर व इस कानून को संविधान के बिबड़ करार देकर अवैध घोषित करवा देंगे। मुझे मालूम नहीं कि भाया उनको उन मसलताओं का भी ख्याल है या नहीं जिनकी कि बषह से जिनके कि मतों के कारण वे आज इस सदन के अन्दर बैठे हैं। अब प्राखिर

यह लैंड रिवेन्यू का रुपया किसका रुपया है ? वह भी तो सरकार का ही है। यह ५ रुपया लैंड रेवेन्यू का जो कि मैं मानता हूँ कि सरकार को लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि सरकार आज मालिक नहीं और हम मुजारे नहीं। सरकार अपनी ही है जो कायतकार है उनकी है और जो कोई दूसरा पेशा करते हैं उनकी है। ५ रुपये बसूल करने के लिए कोई चीफ सैटिलमेंट कमिशनर की जरूरत नहीं। अब नायब तहसीलदार उसको कर दें और उसको फासी पर भी लटका दें तो श्री बी० च० शर्मा को कोई एतराज नहीं है लेकिन चीफ सैटिलमेंट अफसर अगर डिग्री ले घाबे कुर्की करा ले या जेलखाने में डाल दे, अब फासी को दरअसल फासी देना नहीं वह तो जैसा वह कहते थे, मैं उनकी उबान बोलता हूँ...

श्री बी० च० शर्मा : वह उबान अंग्रेजी की है लेकिन आपकी उबान कुछ और है।

श्री० रणवीर सिंह. अब मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकता। वे तो मेरे प्रोफेसर रहे हैं और अगर मेरी अंग्रेजी में कुछ नुक्स है तो गुरु को मानना चाहिये कि वह उसकी शलती है। लेकिन खैर वह मेरे गुरु रहे हैं और गुरु के बराबर होने का शिष्य को दावा नहीं करना चाहिये। मैं कोई नालायक शिष्य तो हूँ नहीं जो गुरु के बराबर होने का दावा करूँ लेकिन बहरहाल मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि सरकार उस भादमी को जो कि आपका मतदाता है गुरुदासपुर का जो उजड़ा हुआ रेपयूजी है और देहात के अन्दर बसा हुआ है और जिसके कि पास सरकार की कोई जमीन थी अब भी सरकार की है उसकी तरफ कोई रुपया बकाया हो जाय तो उसको जेल में दे दिया जाय तो उस पर आपने कभी आवाज नहीं उठाई...

श्री बी० च० शर्मा : आवाज उठाई है।

श्री० रणवीर सिंह. अभी तक तो आपको आवाज उठाते हम ने सुना नहीं अब अगर भाये से उठाने लग जाये तो दूसरी बात है।

[श्री० रणवीर सिंह]

अब जो दिल्ली सहर में बसे हैं और दिल्ली में रहते हैं उन्हें मालूम है कि दिल्ली के 'धर' मकान नहीं मिल सकते और अभी वस साल पहले तक एक मकान, दुकान, के लेने के बावजूद १०, १५ हजार रुपये तक पगड़ी देनी पड़ती थी तब कहीं जाकर मकान अथवा दुकान दिल्ली में लोगों को मिल पाती थी। यह पगड़ी की प्रथा बड़ी बुरी प्रथा थी और इस बुराई का देश में से शीघ्रातिशीघ्र अन्त होना चाहिये। लेकिन इन रेफ्यूजीज भाइयों को यहाँ पर सरकार ने गैर पगड़ी लिये हुए मकान एलाट किये और अगर मकान देने में किसी सरकारी अफसर ने पगड़ी ली हो तो मैं चाहूंगा कि रिट्रिब्यूटेशन मिनिस्ट्री अभी भी ऐसे दोषी अफसरों के खिलाफ जो भी उचित कार्यवाही कर सकती हो, करे। कहने का मतलब यह है कि इस हमदर्दना पालिसी का ही नतीजा है कि आज बहुत सारे भाई यहाँ दिल्ली में आबाद हैं सरकारी मकानों में रह रहे हैं और आज उन जमीनों को जिनको कि रिट्रिब्यूटेशन मिनिस्ट्री ने मामूली कीमत पर उनको नीलाम किया आज चौगुनी कीमत पर वही जमीनें बिकती हैं और बिक सकती हैं और हर मकान चौगुनी कीमत पर बिकता है। जहाँ नहर का पानी गया और जमीन हमारी और उसका सूब देने वाले हम। हमारे ऊपर बेटरमेंट लेवी जरूर होनी चाहिये लेकिन जिसकी कि जमीन चौगुनी कीमत पर बिक सकती है, मकान चौगुनी कीमत पर बिक सकता है और जिसमें कि हमारा भी हिस्सा है। बिजली पहुँचाई, पानी का नलका पहुँचाया और सड़कें बनवायी और उनके ऊपर कोई बेटरमेंट लेवी नहीं है और इतने पर यह कहा जाय कि वह मकान का किराया भी जो उस पर अकाया रहता है वह भी माफ हो जाना चाहिये तो अगर बाकी में कोई डिजरायिण फेस हो कोई बहुत गरीब आदमी हो जो कि बिजली किराया चुकाने में असमर्थ हो तो मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं और मैं

चाहूंगा कि मंत्री महोदय या चीफ सैटिलमेंट कमिशनर महोदय को यह अधिकार हो कि ऐसे डिजरायिण फेस और हार्ड फेस में वह किराये की माफ़ी दे दें लेकिन मैं कोई सबूत नहीं देखता कि बाकी लोगों से जो कि किराया दे सकते हैं उनसे सरकार क्यों न किराया बसूल करे और जो उसको नहीं अदा करते हैं उनको जेलखाने क्यों न भेजे या उन पर जुर्माना या डिफ्री क्यों न लाई जावे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जैसे श्री अजित सिंह सरहद्दी में कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के विरुद्ध जाता है और यह गैरकानूनी ठहरा दिया जायेगा और यदि ऐसा कही हो जाय तो उसके लिए मैं मंत्री महोदय को चाहूंगा कि वह संविधान में आवश्यक नबदीली लाने के लिए कोशिश करे और ला मिनिस्ट्री को एप्रोच करे और यह बतलायें कि देश के विधान में तबदीली करने की जरूरत है। संविधान में हम ने यह पास किया है कि सब समान होंगे और एक आदमी और दूसरे आदमी में कोई फर्क नहीं होगा तब अगर फर्क होता है तो वह संविधान के विरुद्ध है। क्या एक आदमी जो देहात में रहता है और देहाती है और वह कर्जदार है तो उसके साथ एक सलूक होगा और सहर के कर्जदार के साथ कोई और सलूक होगा ? अब चीफ सैटिलमेंट कमिशनर साहब कौन हैं। सहर के मकानों का प्राप्तिरी फीसला करने वाले अफसर का नाम चीफ सैटिलमेंट कमिशनर है और अगर भी दी० बं० शर्मा को याद न हो तो मैं उनको याद दिलाता चाहूंगा कि वह नायब तहसीलदार नहीं हैं बल्कि वह भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और उनको देश के मकानात के बित्तने भी ज़म्मे है उन के बारे में प्राप्तिरी फीसला और हुक्म देने का अधिकार हासिल है। अब यदि उनको इस का गिला है कि उस अफसर को इतने अक्षत्पारत दे दिये गये हैं तो मैं नहीं समझता कि उनकी गिला की हद कहाँ जायगी और वह कैसे दूर होगी। वह तो मेरे खयाल में इसी तरीके से दूरी हो सकती है

कि वह जो ८ करोड़ रुपये हैं उनको यकसम बाँट कर दें और हिन्दुस्तान के वह भाई जो कि बचे हुए हैं और जिनकी तरफ़ की लिए ऐसा चाहिये उनके गले को बाँटें और उनको आगे न बढ़ने दें।

अध्यक्ष महोदय, जो भाई उधर से उजड़ कर आये हैं, उनके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ भाई यहां दिल्ली के घन्डर रहते हैं और यह सदन दिल्ली में साथ में ८ महीने के करीब बैठता है और उनसे ताल्लुकात हो जाया करते हैं वे मिलते जुलते भी हैं। दोस्तों के ताल्लुकात हो सकते हैं दोस्ती हो सकती है और इस तरह उनके लिए हमदर्दी भी हो सकती है। लेकिन हमदर्दी की भी भाँतिर एक हद होनी चाहिये और इस सदन में जिन लोगों ने उनको व यहाँ पर चुन कर भेजा है उनको बिलकुल भूल नहीं जाना चाहिये। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इस बिल में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आती जैसी कि इस में दिलाने की कोशिश की गई है। मैं चाहता हूँ कि इस सदन के सदस्य हिन्दुस्तान के गरीबों के मफ़ाव को आगे लायें और हिन्दुस्तान की तरफ़ की छायात रखें। मेरी समझ में तो इस मंत्रालय ने जो भाई उजड़ कर यहाँ आये उनको बसाने और रोज़गार दिलाने के सम्बन्ध में बहुत ही उत्तम प्रयत्न किया है और उनके साथ यहाँ तक किया कि जिन मकानों में हरिजन या दूसरे गरीब लोग रहते थे उन बेहोश के मकानों को इन रेफ़्यूजी हरिजनों को २० रुपये में हवाले कर दिया। मैं तो इस बात के लिए भी उनका बहुत मज़कूर हूँ। हमारा देश तो समाजवादी देश है और हमारे कम्युनिस्ट भाई उनको बिगड़ाने किराया नहीं दिया है मिलते हैं बकील। लेकिन उनके लिए उन्होंने बकायत नहीं की कि इन गरीबों का भी इस देश के घन्डर हिस्सा है, उनको भी मुफ़्त मिलाया चाहिए। लेकिन मुझे तो खुशी है कि जहाँ साहब ने उन पर बेहतरानी की और उनको बीस रुपये

में मकान दे दिया। इसके अलावा जो हरिजन भाई और दूसरे गरीब लोगों को जमीन दी गयी, उसके लिए उनसे कहा गया कि हम इसकी १६ भागा कीमत जो हमारी किताबों में दर्ज है वह ले लेंगे। पर हम तो उस पर भी मज़कूर हैं और हमारे देश के जो गरीब आदमी हैं वह फिर भी इस मंत्रालय के मज़कूर हैं। लेकिन मुझे यह अजीब बात मालूम होती है कि जिनके साथ १२ साल तक रियायत की गयी हो, जिनको हिन्दुस्तान के कैंपीटल में रहने का मौका दिया गया हो, यहाँ पर जितने फायदे हैं वह हम और आप सभी जानते हैं, जिनको उन सब फायदों को उठाने का मौका दिया गया हो, जिनसे पगड़ी का बपया न लिया गया हो, जिनको बिजली और सड़क और तमाम दूसरी सहुलियात दी गयी हो, उनकी बकालत की जाती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

Mr. Speaker: Now, Shri V. P. Nayar. Hon. Members will take five minutes each.

Shri V. P. Nayar (Quilon): I am the only spokesman from my party: nobody else from my party is speaking.

Mr. Speaker: The hon. Member did not care to speak last time.

Shri V. P. Nayar: Myself?

Mr. Speaker: Nobody from his party wanted to speak last time.

Shri V. P. Nayar: The other day also, Shri Panigrahi rose. It is in the records also.

Mr. Speaker: There is only one clause under consideration.

Shri V. P. Nayar: That is true, but there are very important problems.

If I was disappointed with the hon. Minister's opening remarks, I must confess that I was also dissatisfied with the hon. Member who preceded me. In his misplaced enthusiasm to support the hon. Minister and his colleagues in the Ministry, he has compared this with the situation in which betterment levy is assessed on agriculturists of Punjab. And I found

[Shri V. P. Nayar]

—I must say that also—that at the time when there was an agitation against the betterment levy.....

Ch. Ranbir Singh: The hon. Member and his party were misguiding the public.

Shri V. P. Nayar:....the hon. Member himself did nothing by way of contribution for that even when people were being shot down. Now, he says....

Ch. Ranbir Singh: I did not misguide the people.

Shri V. P. Nayar: Now, he asks why the refugees who have their colonies electrified or roads built for access are being treated on a different footing. I do not want to enter into that controversy. Normally, I would not have spoken on this Bill, but I am concerned with this debate because the hon. Minister made an assertion at the outset that according to him—although some of us here may disagree—the problem of rehabilitation has been settled by and large. That is his main justification for bringing forward this piece of amendment.

I do not claim to have an intimate knowledge of the various colonies as the hon. Minister may have, but I do say that in and around Delhi, I have some knowledge, and some personal experience of how these colonies have been working. As I was reading the debate, I found also that you, Sir, had taken a very special interest in the matter of one colony which I had occasion to visit more than once. To refresh my memory, this morning also, I went to another colony, the Kingsway Camp. Therefore, with the impressions still fresh in my mind, I want to submit to the House that this Bill is absolutely uncalled for at the present moment. I am not prepared to take the hon. Minister for what he says, especially when he asserts:

"Today, though some of my hon. friends do not agree with me, as

far as the western region is concerned, we have reached a stage when I can safely say and assert that our rehabilitation programme, by and large, excepting a small residual problem here and there, has been completed."

It was a picture of misery with very much more gravity that I saw today than what I saw some time ago. You can understand people queueing up for buying bus tickets, you can understand people queueing up for getting the tickets for a cinema or taking snacks from a restaurant, but you cannot understand queues of 50, 60 deep waiting in the morning to use the latrines! It was the most harrowing sight that I saw, that queues of 50, 60 deep were around all the latrines in the Kingsway Camp. Is it human treatment?

13 hrs.

There in the whole camp, as I walked, I found the atmosphere had a very bad stench. There are open drains which are the breeding places for the mosquitoes. None of the drains is covered. Roads in the colony have not been relaid for the last 15 years. The last time they were relaid was when the particular property was in the possession of the military authorities. As you go through the street, it is impossible for you even to walk unless you place one cot on the other in your way because inside the house there is no space to keep the cots, and you know the average covered accommodation given in that camp is a mere 33 sq. yards for a whole family. Twentyfive thousand of such people are huddled up like that in single room tenements of 33 sq. yards, and naturally they have to use the road.

Many reports have come in the press, and that is why we took some interest. You may ask me why coming from Kerala I go to this colony. Well, this is an all-India problem. I

do not consider that we have nothing to do with it.

There, I cannot imagine how the children grow up, because inside the single-room tenement a family has to stay, the married couple will have to stay, and they have all of them to sleep outside. I was told with great sorrow by the inhabitants there that life in the colony affects even the morality of the youth, which is quite natural. One can expect it because there is no privacy. Have you ever found under Indian conditions a colony where there is not a single bath room provided, and men and women have to take their bath in the open? This is what is happening right under our nose, and the hon. Minister seems to laugh. I do not think it is a matter for laughing like this.

Mr. Speaker: How is all that relevant to this Bill?

Shri V. P. Nayar: I am arguing that we have not solved this problem to warrant this legislation at present. We have not solved the problem as far as we can see in and around Delhi.

Mr. Speaker: The simple point is this. I am bound to see whether the arguments addressed here are relevant to the issue on hand. The only point is whether, so far as the exemption clause is concerned, in proper cases the right to arrest or recover by arresting ought or ought not to be exercised. That is the simple amendment. Is it not?

Shri Mehr Chand Khanna: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Now, we are going further into all the amenities that have been provided. Is it the contention of the hon. Member that all these difficulties may be set off against any debts that are due?

Shri V. P. Nayar: My contention is that having provided only such amenities and such sub-human conditions, Government have no morality to levy

rent from this colony. If you do not have any justification for levying rent, where is the justification for making a provision for arrest?

Shri Mehr Chand Khanna: May I submit for the information of the hon. Member and the House that the rent of these tenements is only about Rs. 5 or Rs. 6 per mensem in a place like Delhi which is the capital of India? And I still hold and maintain that if these tenements are sub-let tomorrow, and possibly some of them have already been sub-let, their rent must be twice or thrice.

Shri V. P. Nayar: He may answer the points later on.

Shri Mehr Chand Khanna: One thing more I might say. As you very kindly remarked, the question is whether the speech of the hon. Member is relevant to the issue or not.

What I tried to say day before yesterday—rather on Friday—was that since 1954 when this exemption clause was included in the Act, conditions have materially changed during the last five years and I was giving all those relevant reasons.

Shri V. P. Nayar: My contention is that Government will have justification to recover the amount only from such colonies where basic amenities have been provided. What is it that we are recovering the money for? The hon. Minister says it is only Rs. 5. For 33 square yards it is Rs. 5 right in the heart of the city, but I do not think that is also fair. It is most unfair. In Purana Quila for 100 sq. yards you charge only that. So, I am not satisfied with that also, but my point is that having provided no facilities at all for living under human conditions, it is more inhuman now to say that the money has to be recovered. And these are lands for which the Government had to spend only 8 annas per sq. yard, and from them they are now charging so much as rent. Do you know that in that particular colony, even public hydrants have to

[Shri V. P. Nayar]

be paid for at the rate of Re. 1 per month? Why is it that you are charging money on that. In the whole of New Delhi and old Delhi you can draw water from a public hydrant paying nothing, but in the refugee colony of 25,000 people they have to pay Re. 1 per quarter. Can the hon. Minister contradict me on that?

Shri Mehr Chand Khanna: I am prepared to clarify the position if the Chair would allow me.

Shri V. P. Nayar: You can get your opportunity.

Therefore, my submission is this. These people have been representing to the Government. Here is a letter written by the hon. Minister himself to my leader, Shri Gopalan which shows his attitude. This is a letter which the hon. Minister was pleased to write on the 17th March this year in which he says:

"That various matters raised in the representations have been examined in my Ministry carefully more than once. The decisions taken by us are fully known to the residents of Kingsway."

The hon. Minister was there recently. He did not tell them, on the other hand he wanted them to come and see him. Repeatedly they asked for an interview. His private secretary wrote back to them saying that there would be no purpose in their seeing the hon. Minister. This is the attitude.

Shri Mehr Chand Khanna: I have seen them not once, but ten times. I have been to the Kingsway colony myself.

Shri V. P. Nayar: I referred to his last visit when he asked the representatives of the place to settle the matter with him by an interview in his office. Later he writes to them—I have all the letters, I do not want to embarrass him at all.

Shri Mehr Chand Khanna: Please. You do not embarrass me.

Mr. Speaker: I am afraid we are going away from one topic to the other. The only point is that money is raised by way of taxation from others, out of which houses are built, and those people have got into these houses on the express condition of paying rent. If they persist in not paying, the question is whether the right of recovery by arrest as is provided for here ought or ought not to be given. All the other things are extraneous to this issue. The hon. Member may move a resolution in this House that the arrears due may be exempted or written off, and in future not a pie shall be realised.

Shri V. P. Nayar: I shall do so, but my point is that in respect of these arrears, normally a person who occupies a tenement should pay, but under these circumstances....

Mr. Speaker: I have allowed him sufficient time. Has he anything more to say?

Shri V. P. Nayar: There is one other point, about the manner in which the hon. Minister spoke. As I submitted to you earlier, I would not have spoken had it not been for certain definite statements made in the opening remarks.

Mr. Speaker: Let him say anything.

Shri V. P. Nayar: In answering them I am relevant.

Mr. Speaker: It is unnecessary.

Shri V. P. Nayar: May I submit one aspect about Purana Qulla also?

Mr. Speaker: The hon. Member is trying to do what I ask him not to do. All this may be very good. I am extremely happy the hon. Member is taking interest, it does not matter which part of the country he comes from.

Shri V. P. Nayar: I was the first person, Sir, to raise a debate on the Rehabilitation Finance Administration in the House even as early as 1953. I have been taking interest as a representative of the people.

Mr. Speaker: I have the least objection. Every hon. Member is entitled to go into the matter and take it up. It is not on that ground. All that I am saying is this is a small Bill confined only to one particular point, whether the exemption that has been granted ought to be continued. It may be said that there is no alteration in the circumstances, that the condition of those people has not been improved, they have not got the where-withal to pay, and therefore some latitude should be allowed. I can understand that. But amenities etc., is an independent issue.

Shri V. P. Nayar: What I am submitting is in regard to two colonies which have been specifically referred to here. There are large arrears. I want them not to proceed in this way by amending the law and make provision for arrest just because the facts which have been placed before us in respect of these two colonies do not happen to be correct.

In Purana Quila the hon. Minister says that we have made it a political issue. When Pandit Thakur Das Bhargava, Mr. D. C. Sharma, Mr. V. P. Nayar and Mr. Vajpayee stand together and argue the same point, I fail to see where the political issue is. He is worried because failing to get any remedy from him, they want to demonstrate before the Prime Minister who is his leader. Therefore, it is made a political question. What is the actual fact? The hon. Minister complained, when you interceded the other day during the debate, that these people refused to move out. It would appear that they have been told that they have been given all ideal conditions, and they never want to go. As a matter of fact, I have letters from the hon. Minister himself. In

1951, the residents of Purana Quila proposed an alternative accommodation and wrote to the hon. Minister. I am reading from the Government of India, Ministry of Rehabilitation, letter dated 20th July, 1951, of which I have a copy:

"Government do not propose to plan any fresh housing scheme for the residents of Purana Quila colony."

Later on, they did not leave it. In 1954, they told them: 'Now you are represented. You go to the Delhi State Assembly'.

Mr. Speaker: Irrespective of what might have been said the other day, the issue is a very simple one, whether the circumstances have so altered that you must exercise the power to arrest.

Shri V. P. Nayar: That is my only point. The circumstances, as we see today, in respect of the various colonies, where the hon. Minister claims that rehabilitation programmes have been carried out in full, do not warrant a measure like this and it must be withdrawn unless the hon. Minister is prepared to convince us. We, one Member from each Party, are prepared to go with him to all the colonies. If he takes us there, he will know that this measure has no basis at all, that this is most unwarranted and that the refugees should not be treated like this. On the one hand, you do not give them even the barest of minimum. On the other, this is what is proposed. As I submitted to you, I do not want to labour this point any more because the time is also very short. I would only appeal to the hon. Minister to take us into confidence. We are always prepared to help him. We do not say that the Ministry has done no good work at all. They have done quite a good work in several fields.

Mr. Speaker: If conditions regarding latrines and other conveniences are stated by the hon. Member, can it be suggested: let all the arrears be

[Mr. Speaker]

paid away and then we will provide the latrines and other things as quickly as possible?

Shri V. P. Nayar: For suffering for all these ten years, what is the compensation which we will give them? In fact, if I had the liberty I would request you as the Speaker of this House to take us there so that we can know what is happening there.

Mr. Speaker: I will certainly go there.

Shri V. P. Nayar: Because of the interest you evinced in Purana Qila, I would very much like that you visit the other colonies also.

Mr. Speaker: Irrespective of any arrears of rent or any other matter, all these amenities ought to be provided. There is absolutely no doubt about that.

Shri V. P. Nayar: Certainly.

Mr. Speaker: Whether there ought to be a defence against recovery in one way or the other is the only question.

Shri V. P. Nayar: I never say that money advanced by Government should not be recovered. But the question of recovery of money advanced by Government to provide for the most sub-human or inhuman conditions for refugees who, unfortunately, despite themselves, had to come here is something which will not warrant such a measure being brought before the House.

Shri Mehr Chand Khanna: Through you I would like to ask one question of the hon. Member. That might clarify the air a little. Take, for example, Patel Nagar or Rajendra Nagar or Khan Market which I believe you can see, are properly developed.

Shri V. P. Nayar: I know of allotments also there.

Shri Mehr Chand Khanna: If there are heavy arrears in these colonies

and markets, he will have no objection to those persons being arrested in default?

Shri V. P. Nayar: In regard to those colonies, if you permit me, I can answer.

Mr. Speaker: The hon. Minister also need not dilate upon that. Even Shri V. P. Nayar does not say that this can be set up as a defence. He only wants to take this opportunity of bringing to the notice of the hon. Minister, who himself started this, certain circumstances and conditions.

Shri V. P. Nayar: If I answer him, it will be very prejudicial to his own interest because I know every detail of the allotments.

Mr. Speaker: Apart from the question of this particular amendment, if the conditions are so bad, is it not necessary that these conveniences ought to be provided?

Shri Mehr Chand Khanna: May I give you the picture of Kingsway in two or three minutes? Kingsway was a wartime camp. It is one of our oldest colonies. I think in the initial stages we put up tenements there for about 3000 families. Now the difficulty is that in that area there is no underground sewerage, water difficulty is acute.

Shri V. P. Nayar: What about electricity?

Shri Mehr Chand Khanna: Let me continue.

There is no underground sewerage. If underground sewerage can be provided, it can be provided to other colonies too. That matter can be examined. Similarly there is difficulty about accommodation in that area.

Now, there are two types of people living in Kingsway. One category belongs to those to whom we have made

regular allotments. In the case of those persons, it was brought to my notice that the rent, taking into consideration the quantum and quality of the development effected, was not commensurate with the rent I was charging from other colonies. I had that matter examined and only very recently the rent has been reduced, say, from Rs. 10 to Rs 5 or Rs 6. We have reduced it by half. Now, in that colony, there are some old barracks. Those old barracks were to be demolished. We took the people out of those barracks and gave them regular allotments. But unfortunately, by the time the barracks could be demolished, they were unauthorisedly occupied. They are a standing slur upon me. I admit it.

My position to-day is that if these gentlemen would come out with me, I can only take them to the areas where lands are available, because if Kingsway itself is very congested and no more tenements can be built, then these 700 or 800 people have to come out. I have made a suggestion to my friends in Kingsway, to the Mayor of Delhi and to the Commissioner of Delhi Corporation, if some suitable land can be found where tenements can be built for these 700 or 800 people who are living under those inhuman and sub-human conditions, I am prepared to take charge of the construction even at the fag-end of my Ministry. Either I will do it myself or I will pass it on to the Ministry of W & H. But in the vicinity, lands are not available. They would not like to go to places like Lajpat Nagar or Tilak Nagar or other places. That is unfortunately the position.

Mr. Speaker: Lajpat Nagar is so near. The hon. Member, Shri V. P. Nayar, will kindly induce them to go. That is the only remedy.

Shri V. P. Nayar: I find that near this there is an unoccupied vacant land to the extent of 150 acres.

Shri Mehr Chand Khanna: That land is liable to flooding. It is in a low-lying area. I have had the whole thing examined. It is near to the Radio colony. That area is liable to flooding. Also it is malarial. If that land is acceptable to the people concerned, nobody would be happier than myself. But tomorrow in this very House I will be accused of having taken people to an area which will be washed away by the Juna the day after.

Shri V. P. Nayar: It is not a question of solving the problem of malaria, but of eradicating it. You cannot say that it is malarial. It is in the same area within a radius of half a mile. Malaria is not such a disease which will confine itself to a particular place. There must be anopheles mosquito there.

Shri Mehr Chand Khanna: In spite of all our efforts, I cannot stop the floods.

Shri V. P. Nayar: He can. There are engineers who will do it.

Mr. Speaker: Why should we assume that the Government or the Minister in charge, himself a displaced person, will refuse it merely because it comes from any particular quarter?

Shri V. P. Nayar: It does not suit him.

Mr. Speaker: Does he want to build a bungalow there?

Shri V. P. Nayar: No, there is politics in it.

Mr. Speaker: A number of things have unfortunately happened. It is true that wherever a person, rich or poor, goes and settles, he does not want to leave that place and go a distance away. That is human nature. But in the peculiar circumstances facing us, we cannot have the cake and eat it too. They must go and settle down somewhere else. So hon. Members will, as far as possible, try to persuade them. There must be common agreement. The hon. Minister has a

[Mr. Speaker]

right to examine these matters. He has examined it and has got the advice of the health authorities. It is no good merely trying to argue from a layman's point of view and saying that malaria has to be controlled and so on. I am really sorry that it will create an amount of bad blood. Already those people are suffering. Their miseries will be accentuated by whatever we say on the floor of this House.

Shri V. P. Nayar: I am requesting you to kindly direct him to take four or five of us to all the colonies in Delhi. We will give suggestions. We want to help them. It is not one man's wisdom alone that will count.

Shri Mehr Chand Khanna: You interceded in the matter of the Purana Qila residents. You were happy, you felt that whatever was justified was being done. I even went to the length of extending the period by six months, and grant of money. But my hon. friend Shri Nayar goes there and gives them ideas and assurances. I can assure you that nothing will happen within the next 6 months; as long as he is there nothing will happen.

Shri V. P. Nayar: Why? I am not Government. I am not here to give assurances. He should not be so uncharitable.

Mr. Speaker: Hon. Members must know that it is not right for any hon. Member to suggest where the hon. Minister should go. It is the duty of the hon. Minister to go there. It is not right for the hon. Members of the Opposition to create an impression that the hon. Minister would be discharging his duty only by taking them wherever they want to go. No Government can work in this way.

Shri V. P. Nayar: Let him not take people from our party; let him take people from his party only because all are hon. Members here. And, the hon. Minister should not think that I have gone there to give any assurance. I am not the man to do it.

Mr. Speaker: Let us stop at this. Shri Naval Prabhakar.

श्री नवल प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विषयक सारे देश के लिए है किन्तु इसका जितना प्रभाव दिल्ली पर पड़ेगा, और दिल्ली में भी जितना भेरे निर्वाचन क्षेत्र पर पड़ेगा, उतना कहीं और नहीं पड़ने वाला है ।

वैसे तीन तरह के लोग होते हैं और हैं भी । एक तो वह हैं जिनके पास पैसा है पर वह देना नहीं चाहते । दूसरे वह हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वह देना चाहते हैं, और तीसरे वह हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है और जो देना भी नहीं चाहते ।

13-22 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

तो जो पहली कैटेगरी के लोग हैं यानी जिनके पास पैसा है पर जो देना नहीं चाहते, उन पर तो यह कानून लागू होना चाहिए, और उनसे वह रुपया वसूल किया जाना चाहिए । किन्तु बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं दे सकते । इनमें वे लोग हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, सारे दिन रेड़ी चलाते हैं, या झल्ली उठाकर मजदूरी करते हैं । इसी प्रकार घाप हरिजनो को और बाल्मीकियों को ले लीजिये जो कि सारे दिन तो मुहल्ला साफ करते हैं और उनको उस मुहल्ले से ३०, ४० या ५० रुपया महीना मिलता है । ऐसे घादमी कहां से एरियर देंगे और कहां से अपने बच्चों को पालेंगे ।

भेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन जगहें हैं जिनका अक्सर जिक्र किया जाता है । इधर बाहदुरा के पार है झील कुरंजा की कानोमी, और इस तरफ मजकुरा रोड पर है सिहाब और रमेश नगर । इन तीनों कानोमीच में घाप बने जाइये और जाकर देखिये कि

वहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार ने इस पर कम से कम रुपा सर्व किया है और सरकार उनसे अधिक से अधिक लेना चाहती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी वह लोग यह कहते हैं कि पहले तो हमसे मांगा नहीं, अब एक साथ पूरी रकम इकट्ठी करके हमसे मांगी जाती है। तो हम यह वे नहीं सकते। सन् १९५१ के १९५५ तक का और सन् १९५५ से अब तक का एरियर यदि एक किस्त में मांगा जाये तो उनके लिए यह बहुत मुश्किल होगा। अगर आप एक साथ नहीं मांग रहे हैं तो मेरा एक सुझाव है कि धाने वाले समय के अन्दर उनसे आप चालू किराया ले लीजिये पर एरियर को बहुत ही सरल किस्तों में लीजिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह क्यों नहीं कहते कि माफ कर दीजिये।

श्री नवल प्रभाकर : माफ कर दें तो क्या अच्छा है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं २० परसेंट एक दफा में लेता हूँ और बकाया सात वर्ष में मांगता हूँ। मैं तो एक साथ मांगता ही नहीं।

श्री नवल प्रभाकर : कल ही रमेश नगर के कुछ लोग मेरे पास आये थे और उनको जो नोटिस दिये गये हैं वह मैं वे देखे हैं। दो नाम से उनसे पैसा वसूल करने के लिए नोटिस दिये गये हैं। एक तो लीज के नाम से और एक ग्राउंडरेंट के नाम से। यह कहाँ तक सत्य है यह मंत्री जी बतलायें कि एक ही जमीन की लीज भी ली जाये और उसी जमीन का ग्राउंडरेंट भी चार्ज किया जाये यह कहाँ तक ठीक है और इसमें क्या सत्य है यह कृपा करके मंत्री जी बतलायें और उसमें

वह क्या भावनाएँ देना चाहते हैं वह भी कृपा करके बतलायें। सास तीर से झील कुरंवा, तिहाड़ और रमेश नगर के लोगों का यह कहना है कि उनको १०० गज जमीन दी गयी और ५०० रुपया उन पर मेहरबानी करके छोड़ दिया गया। यह तो बहुत अच्छा है। किन्तु इस सी गज जमीन की जो कीमत है वह भी आसान किस्तों में ली जानी चाहिये। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं पहले का पैसा तो माफ कर दूँगा...

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने कभी नहीं कहा है।

श्री नवल प्रभाकर : अगर आपने नहीं कहा है तो आप कृपा कर के बता दें कि जो ग्राउंडरेंट है और जो लीज मनी है, उसके सम्बन्ध में आपकी क्या पालिसी है ताकि हम लोगों को जा करके उसी तरह से बता सकें। जो भी आपकी पालिसी होगी, वह हम उनको जा करके बता सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय को बन्धवाद देता हूँ जिस तरह से कि मुझ से पूर्व बोलने वाले बक्ताओं ने दिया है उस सब काम के लिए जो उन्होंने पुरुषार्थी भाव्यों के लिए किया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे विस्थापित भाई बहुत ही दयनीय अवस्था में यहाँ आए हैं और बहुत पैसा खर्च करके उनको यहाँ पर बसाया गया है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सी जगहों पर जमीन की कीमत दस गुना और बीस गुना हो गई है और इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। किन्तु हम को यह भी मानना पड़ेगा कि यदि देश का बटवारा न हुआ होता तो उस अवस्था में विस्थापित लोग भी यहाँ न आते और उसके साथ दिल्ली की जमीन की इतनी ऊँची कीमत होने वाली नहीं थी, जितनी आज है। इतने लोगों का एक दम से यहाँ आना और इस दिल्ली का एक छोटा सा क्षेत्र होना और उस छोटे से

[श्री नवल प्रभाकर]

क्षेत्र में बहुत ज्यादा भ्रातृत्वों का रहना, ये सब कारण हैं कि कीमतें एक दम से बढ़ गईं। यह कहा जाए कि सरकार ने जो जमीनें उनको दीं उनकी कीमतें एक दम से बढ़ गई हैं, इन के बढ़ने का यही एक कारण नहीं है। यह भी एक कारण हो सकता है लेकिन यही कारण नहीं है। यह हो सकता है कि भ्रातृत्व चल कर इन्हीं जमीनों की कीमत सौ गुना और दो सौ गुना हो जाए। लेकिन सरकार यह कहे कि हमने ऐसी जमीन दी कि उसकी कीमत दो सौ गुना हो गई है, तो यह ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि देश में बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर जितना पैसा सरकार ने खर्च किया है, आज उसको उतना पैसा भी उनका नहीं मिल रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश के दूसरे भागों से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं और हर पाँच वर्षों में और हर साल भी लाखों की तादाद में भ्रातृत्व भी लोग आ रहे हैं और और आ सकते हैं। इतने लोगों के यहाँ आ जाने से जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। जो हो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपने बहुत दया और कृपा इन लोगों को दिखाई है और अन्तिम समय में भी मैं चाहता हूँ कि उसी सहानुभूति का परिचय आप दें। हो सकता है कि बहुत से लोग

श्री स० स० बनर्जी (कानपुर): समय किस का?

श्री मेहर चन्द खन्ना: मिनिस्टर और मिनिस्ट्री दोनों का।

श्री नवल प्रभाकर: हो सकता है कि कुछ लोगों ने धृष्टता दिखाई हो, उद्बुद्धता की हो, लेकिन आपका काम यह है कि जिस तरह से पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा कि आप उनके साथ माता पिता की तरह से पेश आयें। मैं समझता हूँ कि आपका हृदय माता और

पिता के हृदय के समान होना चाहिये। एक कहावत है:—

क्षमा बहुत को चाहिये, छोटन को उत्पात।
कहा बिष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात ॥

भृगु ने जब बिष्णु को लात मारी तो बिष्णु ने कहा कि भाई तुम्हारे पाँव में कहा चोट लगी है। यही मैं भ्रातृत्व से कहना चाहता हूँ कि वह बिष्णु के समान बनें। भृगु के समान अगर कोई धृष्टता करता है, तो उनको उसे क्षमा कर देना चाहिये और यह जो रौद्र रूप उन्होंने धारण किया है, मैं चाहता हूँ कि वह इसको छोड़ दें और शान्त हों।

मैं अधिक कुछ कहना चाहता नहीं हूँ। मैं इतनी ही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज तक उनकी कृपा दृष्टि इन भाइयों के ऊपर रही है, जिस पर दया उन्होंने इनको आज तक दिखाई है, उनकी यह कृपा और दया हमेशा बनी रहे। अन्त में मैं एक चौपाई कह कर समाप्त करता हूँ:—

पर हित बस जिन के मन याहि।
तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि ॥

Mr. Deputy-Speaker: How long will the hon. Minister take?

Shri Mehr Chand Khanna: I want 30 minutes at least, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: Then, I must call the hon. Minister now.

Shri Mulchand Dube (Farrukhabad): Sir, only two minutes. I do not want more than 2 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Speaker announced that this must be over by 1.30. The Minister says that he may take half an hour at least.

Shri S. M. Banerjee: It is a very important Bill.

Mr. Deputy-Speaker: But the time cannot be extended indefinitely. All

right. Shri Mulchand Dube might have two minutes.

Shri Mulchand Dube: Sir, I support the Bill, and I do not think there is any justification for withholding the payment of arrears or withholding payment of dues by whomsoever it may be. The present law provides some safeguards to the refugees that they shall not be arrested for the default in the payment of dues. The present Bill seeks to remove that provision and provides certain safeguards. The Bill, at the same time, says that the officer will make an enquiry and after making the enquiry, if he comes to the conclusion that the money should be realised by arrest, it is only then that he passes an order.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister that there are certain provisions in the Civil Procedure Code which provide for the recovery of monies due from a judgment-debtor and there certain safeguards have been provided for the payment of the dues or debts by the judgment-debtor. I shall read section 51 of the Civil Procedure Code in this connection. It says:

"Powers of Court to enforce execution" 51. Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the Court may, on the application of the decree-holder, order execution of the decree

- (a) by delivery of any property specifically decreed;
- (b) by attachment and sale or by sale without attachment of any property,
- (c) by arrest and detention in prison;
- (d) by appointing a receiver; or
- (e) in such other manner as the nature of the relief granted may require

(Provided that, where the decree is for the payment of money, execution by detention in

prison shall not be ordered unless, after giving the judgment-debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the Court, for reasons recorded in writing, is satisfied—

- (a) that the judgment-debtor, with the object or effect of obstructing or delaying the execution of the decree,—
 - (i) is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the Court,
 - (ii) has, after the institution of the suit in which the decree was passed, dishonestly transferred, concealed, or removed any part of his property, or committed any other act of bad faith in relation to his property, or
- (b) that the judgment-debtor has, or has had since the date of the decree, the means to pay the amount of the decree or some substantial part thereof and refuses or neglects or has refused or neglected to pay the same, or
- (c) that the decree is for a sum for which the judgment-debtor was bound in a fiduciary capacity to account.

Explanation. In the calculation of the means of the judgment-debtor for the purposes of clause (b), there shall be left out of the account any property which, by or under any law or custom having the force of law for the time being in force, is exempt from attachment in execution of the decree.)"

So, there are certain safeguards which are given to the judgment-

[Shri Mulchand Dube]

debtor against whom a decree has been passed, I submit that in this case where the realisation is by means of arrears of revenue, a decree has not been passed. We do not know whether the accounts that are prepared in the office are correct. Therefore, my submission is that the same facilities or the same safeguards should be provided to the defaulter as are provided to the judgment-debtor before his arrest. Of course, if he has property, there may be a decree for a sum for which the judgment-debtor is bound in a fiduciary capacity and all that. All these provisions are in the Civil Procedure Code. My submission is, the same procedure or the same principle and the same safeguards should be provided to the refugees also. These are provisions which are provided for the ordinary person against whom there is a decree for the payment of money due. I believe that the hon. Minister will take this aspect into consideration and give the refugees the same facilities and safeguards for the payment of money, as are allowed to the other people.

In other words, my submission is that if the safeguards for preventing the arrest of the refugees are being removed, it is not a bad thing as against persons who are refusing to pay or who do not want to pay in spite of their being able to pay.

श्री स० स० बमर्षी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसका कारण यह है कि मैं समझता हूँ कि पुरूषार्थी भाइयों के साथ रह कर मेरा जो तजुर्बा हुआ है वह यह हुआ है कि इन लोगों ने किराया जान बूझ कर जमा नहीं किया है, या भदा नहीं किया है। इसके पीछे प्रामिखिज का आश्वासनो का एक डेर है। इनको तरह तरह के आश्वासन दिये गये, जिन को पूरा नहीं किया गया। उनकी गलती इतनी ही है कि उन्होंने इन प्रामिखिज पर बिश्वास किया और उसका आज यह नतीजा है कि उनके जिम्मे मान घाट करोड़

रुपया निकाला जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि जो रुपया उनके जिम्मे है, वह वसूल नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो आश्वासन उनकी दिये गये हैं वे पूरे किये जाने चाहियें।

आज आप यह तरीका करने जा रहे हैं कि अगर वे रुपया भदा नहीं करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर यह किस तरह का इंसाफ है जो आप उनके साथ करने जा रहे हैं। इंसाफ जो कहता है, वह आप करे। मुझे पता चला है, पता नहीं कहाँ तक सच है, कि तकरीबन ६०-७० करोड़ रुपया इनकम-टैक्स का आप माफ करने जा रहे हैं। जब आप इतना रुपया माफ कर रहे हैं तो क्या कारण है कि आप घाट करोड़ रुपये के लिए इन भाइयों को जेल में भेजना चाहते हैं और इनको फिर से उजाड़ना चाहते हैं। जहाँ तक इन भाइयों को बसाने का तात्पर्य है, मैं दूसरे माननीय सदस्यों की तरह से मिनिस्टर साहब को और सरकार को बचाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सजा दे कर या उनको जेल भेज कर अब फिर से रियायती बनाने की कोशिश हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इस सब बीज की जाच पड़ताल करने के लिए एक कमिशन नियुक्त होना चाहिये जोकि जितनी भी बस्तिया बसाई गई हैं, उनको जा कर के देखें और जाच पड़ताल करके पता लगाये कि इस सब के पीछे क्या इतिहास है, क्या राज है, क्यों उन्होंने रुपया भदा नहीं किया है, क्या उनका देना बनता है और यह सारी बीज हम मदन के सामने आए।

मेरे भाई बाजपेयी साहब ने अच्छा मुगल का जिक्र किया है। मैं निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर अगर पांच भादमियों को भेज दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि किराये का कोई हिसाब नहीं है, कभी किराया १७ रुपये हो जाता है और कभी २२ रुपये और

वह एक अच्छा सासा बरसामीटर है जो कभी सी डिबी शो करता है और कभी १०७ डिबी। इसी तरह से मैं जानता हूँ कि गोविन्दनगर के इलाके में, कानपुर में, हमारी बेबा बहनों के बसूल किया जाने लगा था और वे देने की स्थिति में नहीं थीं और बाद में बहुत हसरार करने के बाद, बहुत मुश्किल से उनको कुछ समय दिया गया था। इस बास्ते में भर्ज करना चाहता हूँ कि इस मामले में बहुत संजीवनी के साथ गौर होना चाहिये। और मैं समझता हूँ कि कानून के बूते पर आप काम नहीं चला सकते हैं। कानून के ही बूते पर अगर आपने पैसा बसूल करने की कोशिश की तो हो सकता है कि एक भान्दोलन बढ़ा हो जाए। मैं डराने के लिए या चेतावनी के रूप में यह बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन यह जरूर है कि अगर भान्दोलन हुआ तो वह देश के लिए, उनके लिए और आपके लिए भी शायद फातक सिद्ध हो। मैं आशा करता हूँ कि मिनिस्टर साहब जो खुद पुरुषार्थी हैं, ऐसा मौका नहीं घाने देंगे कि उनके भाई उनसे लड़ने के लिए तैयार हों।

अब मैं पुनर्गणे किले के रिफ्यूजीस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनको कई बार आपवासन दिये गये हैं। मेरी बदकिस्मती है कि मैं पहली तारीख को यहाँ पर नहीं था जब इनके बारे में चर्चा हुई थी। यह कहा गया था कि जगपुरे की जमीन चूँकि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, इस बास्ते इनको नहीं बी जा सकती है। मुझे पता चला है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस जमीन को छोड़ दिया है और वह अब हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास है और वहाँ पर रिहैबिलिटेशन हो सकता है। मैं दरभवास्त करता हूँ कि इस सबन को साफ तौर पर बताया जाए कि क्या वह जमीन हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास है और अगर है तो क्यों नहीं इन लोगों को वहाँ बसाया जाता है।

अब मैं किराये के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहले एक मिनिस्ट साहब ने

कहा कि किराया लिया गया है। बाद में किसी ने कहा कि वह कंस्ट्रक्शन चार्ज है और उसके बाद हमारे माननीय मंत्री आप कहते हैं कि बीसले साहब ने उनकी क्या बर्ज कल आप भी अगर चले गये . . .

श्री मेहर चन्द लाला : मैं ने कभी नहीं कहा है।

श्री स० म० बनर्जी : मैंने सुना है।

श्री मेहर चन्द लाला : आपने जो सुना है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है।

श्री स० म० बनर्जी : मैं चाहता हूँ कि मैं गलत होऊँ और आप लोग भाई चारे के साथ रहें।

श्री मेहर चन्द लाला : हम तो भाई चारे के साथ रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को चाहिये था कि वह डिबेट पढ़ लेते।

श्री स० म० बनर्जी : उसमें कुछ बर्ज ऐसे हैं कुछ ऐसी चीज है जिससे इस बात का पता चलता है और अगर आप मुझे मौका दें तो . . .

पंडित ठाकुर दास आर्य : ऐसा कैस है कि १२ रुपया किराया था और भान्दोलन मिनिस्ट ने साढ़े चार रुपया कर दिया और यह भी शुरू से कर दिया।

श्री स० स० बनर्जी : बारह रुपये का साढ़े चार रुपया कर दिया गया था लेकिन वह रुपया पांच सौ रुपया में दिया गया था। ४५,००० रुपये की टोटल रकम दी गई थी. . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां बात कहनी चाहिये। अगर वह ठीक न हो तो कहनी नहीं चाहिये।

श्री स० ब० बनर्जी : वाकई मैं न कहा हो तो दूसरी बात है। लेकिन दोनों मिनिस्टर्स के क्वेश्चंस और घांसेस में कुछ कंटेडिकेशन है और अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ कर उसको प्वाइंट घाउट भी कर सकता हूँ। उस कंटेडिकेशन का जवाब हम लोग चाहते हैं।

तो मैं यह भर्ज करना चाहता हूँ कि जो बादा किया गया है उसको पूरा किया जाना चाहिये। साथ ही साथ पुराने किले के रिफ्यूजीज को बसाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून को पास न करके एक कमिशन बिठाया जाये जिस की रिपोर्ट इस सदन के सामने आये और वह पता लगाये कि क्यों इतना रुपया खू है और किस तरह से यह बसूल किया जा सकता है। अगर आप पुलिस की सहायता से और विरफ्तारी का डर दिला कर यह रुपया बसूल करना चाहेंगे तो मेरा खयाल है कि यह न पुष्पार्थी भाइयो के हित में होगा और न ही देश के इस वास्ते में आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस पर मजीदगी के साथ गौर करेंगे।

श्री मेहर बन्धु लाला जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, शुक्रवार के रोज भी हमारे बहुत से भाइयो ने तकरीरे की और आज भी। मैं उन तकरीरो को सुन रहा था और बार बार मेरे दिमाग में यह सवाल पैदा होता था कि वे किन की तरफ से कह रहे हैं और किस से कह रहे हैं? अगर कोई मेरी डिमान्ड फार ग्रान्ट सामने होती, मेरी मिनिस्ट्री की पालिसी पर बहस होती तो शायद मुझे मौका मिलता कि मैं उन का मुकम्मल तौर पर जबाब दू। लेकिन आप के सामने और सदन के सामने एक बहुत छोटा सा तरसीमी बिल था। लेकिन इस बिल के दायरे में जो चीजें नहीं कहनी थी वह भी कही गई और जो कहनी थी वह तो कही गई ही। मैं ने अपने दोस्त श्री बाजपेयी की तकरीर को बहुत गौर से सुना और मैं खुश हो रहा था कि जो आदमी मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिस

ने मध्य प्रदेश में तालीम पाई और जो कानपुर से या यू० पी० के किसी इलाके से एलेक्ट हुआ, शायद वह मध्य प्रदेश का गलती से निकर कर वे जहाँ तीन या चार लाख के करीब शरणार्थी हैं।

श्री V. P. Nayar (Quilon): Elected from nowhere.

श्री मेहर बन्धु लाला : यू० पी० में पांच लाख के करीब शरणार्थी हैं, उन के लिये उन्होंने जवान भी नहीं खोली।

श्री स० ब० बनर्जी : मैं ने कहा था।

श्री मेहर बन्धु लाला : मैं श्री बाजपेयी का जिक्र कर रहा हूँ।

श्री स० ब० बनर्जी : आप ने कानपुर का नाम लिया था।

श्री मेहर बन्धु लाला : आप तशरीफ रखिये। आप नाराज क्यों होते हैं, आप की तरफ भी आऊंगा। मैं भर्ज कर रहा था कि यू० पी० और मध्य प्रदेश में दस लाख के करीब शरणार्थी हैं। हमारे बाजपेयी भाई ने उन के मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्या मैं इस से यह भन्दाजा लगाऊँ कि उन का पुनर्वास हो चुका है? और अगर पुनर्वास नहीं हुआ तो सिर्फ पुराने किले का, किम्वे का, बील कोरजा का, तेहाड का या उस किस्म की और कालोनीज क्या? काश वे मेरी मिनिस्ट्री की मुक्ता चीनी करते हूँ अपने दो प्रान्तों का, जहाँ पर कि उन की जन्म भूमि है, जहाँ से आप खुन कर आये हैं, कुछ जिक्र करते। लेकिन मैं उन को जानता हूँ। वह क्यों करे? उन का तो आज कल नया सम्बन्ध दिल्ली के है। मुझे से कहा जाता है कि साहब, आप सियासत का जिक्र न करे। न कहां तो क्या कहां? उन की घांस तो है दिल्ली कारपोरेशन की तरफ, उन का रिफ्यूजीज ने माता क्या? रिफ्यूजीज से उन का ताल्लुक क्या एम० पी० बनने के बाद वह रिफ्यूजीज और दिल्ली का जिक्र करने लगे। वैसे, बारह साल पहले जो

न किसी ने उन का नाम सुना था न उन के बिल में रिफ्यूजीज के लिये तड़पन थी। अब दिल्ली के बारे में मुझे बार बार ताना भिन्नता है। दिल्ली के मुताल्लिक बार बार जिक्र हुआ। परसों भी हुआ, आज भी हुआ। मुझे दुःख होता है जब दिल्ली के मुताल्लिक जिक्र होता है। हिन्दी तो मैं जानता नहीं, मालूम नहीं था कि ५० या ६० बरस की उम्र में पठानों का देश छोड़ कर मैं हिन्दुस्तान आऊंगा। सागी उम्र उर्दू बोली या पस्तो। तो मुझे फारसी का एक मिसरा याद आया जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ

मरा ददँसत छन्दर दिल अग़र गोयम जबा सोखद ब
गर वम दर कशम तरसम कि नखे उस्तबा सोखद

[مرا دود هست اندر غل اگر گولم زبانی
سوزد
و گو دم در کشم تر سم که نغز استخوان
سوزد]

तर्जुमा यह है कि मेरे दिल में दर्द है। अगर उस का जिक्र करता हूँ तो जवान जलती है, अगर सास नहीं खींचता हूँ तो जो मेरी हड्डी है वह जलती है। आज शरणार्थी के नाते से मुझे ताने कौन देते हैं? जो केरल से आये, वह जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आये। कभी शरणार्थी का सवाल उन के जेरे गीर नहीं रहा। दिल्ली को आप दो एक मिनट के लिये मीजिये। जब मेरे दोस्त बोल रहे थे तब, जनाब उस वक़्त अपनी कुर्सी पर "गैनक" अकरोज नहीं थे, किस्सबे का बड़े जोरो से जिक्र हो रहा था, पुराने किले का बड़े जोर से जिक्र हो रहा था। पटेल नगर के लिये मैं ने पूछा कि जरा उन का भी कर दीजिये। आप खान मार्केट का जिक्र कीजिये, आप गणकार मार्केट का जिक्र कीजिये, आप इन्ना

मार्केट का जिक्र कीजिये। दिल्ली में ५० हजार टेनेमेंट्स बने २०, २५ करोड़ रुपये के। आज मैं बिला मुबालगा कहने के लिये तैयार हूँ, और मुझे इस का अफसोस होता है कि काश दिल्ली में यह चीजें न बनती और दिल्ली में इतनी कीमतें न बढ़तीं। आज हमारे पास अपनी आती है, हमारे पास आज मुकदमात आत हैं, भाई और भाई के आते हैं, बहन और भाई के आते हैं, मा और बेटे के आते हैं, बाप और बेटे के आते हैं। किस लिये? वह कहते हैं कि यह जो ५ या ७ हजार ६० की जायदाद जो तुम बेच रहे हो पटेल नगर में, या खान मार्केट में, या गणकार मार्केट में उस की कीमत २० या २५ हजार ६० हो चुकी मुझे दो। मेरे दोस्त वाजपेयी अगर मुझे शरणार्थी वजीर के नाते से वह कहते कि उस शरणार्थी को जो कि हुसेनवाला में बैठा है, जिस को पाकिस्तान की गोलियों का डर है, या मशरफी पाकिस्तान में जो बैठा है और पाकिस्तानी रेडर आ कर उसे तंग करते हैं उस का कुछ ख्याल करो तो मैं ब सरेचम उन से कहता कि मुझे बहुत हमदर्दी है उन के साथ और अगर मुझे कुछ देना पड़े, लेने का तो मबाल ही क्या है, तो मैं कुछ सोचने के लिये तैयार हूँ। लेकिन जब आज मुझे ताने मिलते हैं दिल्ली के, तो मैं दिल्ली के मुताल्लिक इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं ने खुद इस जायदाद की ऐलाटेबल लिमिट बढ़ाई। मेरे भाई जो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं अभी बोल रहे थे उन्हें यह इल्म नहीं था कि किराये का मैं ने यह फैसला किया है कि पहली अक्टूबर १९५५ से ऐलाटेबल प्रापर्टी के किराये की वसूली हो ही नहीं। कोई कहता है कि यह कांस्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिज करता है मेरा बिल, भन्ना बायर्न है, मैं ने फडामेन्टल राइट्स को ट्रेसपास किया है। मेरा कानून यह कहता है कि जो १०,००० में नीचे की जायदाद है, पहली अक्टूबर के बाद अगर कोई आदमी उस का मासिक बनना चाहे तो जहाँ जमींदार के लगान लिया जायेगा, जमींदारों से मासिया लिया जायेगा, जमींदार

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

का बकाया एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू वसूल हो सकता है, उस की कुर्की हो सकती है और उस को कैद हो सकती है, लेकिन जो शारणाधीन हैं उन का पहली भत्ता, १९५५ के बाद का कराया ही हम नहीं ले रहे हैं, और यही नहीं, मेरा कानून यह कहता है कि बकाया किराया भी जो है, चाहे वह पुराने किले वाला हो या कोई और, वह २० परसेन्ट मुझे भाज दे दो, और बकाया ७ फिस्तो में दो। इस से ज्यादा क्या रियायत हो सकती है? अभी आपने झील कोरंजा और रमेश नगर का जिक्र सुना। मेरे नवल प्रभाकर भाई ने कहा कि नोटिस आया लीज एंड ग्राउंड रेंट का। मैं इस पोलीशन को साफ कर दू कि यह दो अलाहदा चीजे हैं और उन को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि मैं ने क्या किया। मैंने यह किया है कि हम ने जो १०० गज जमीन इन कालोनीज में दी है उस की कीमत कोई १००० या ११०० रु० रखी है। जो नान क्लेमेन्ट को ५०० रु० दिया वह तो ग्रांट हो गई, वह मैं नहीं मांग रहा। लेकिन जो नान क्लेमेन्ट की १००० या ११०० रु० की जमीन है उस के लिये हम ने दो आप्शन दिये हैं। पहला आप्शन तो यह है कि अगर वह चाहे तो मेरा ११०० या १२०० रु० खुद आ कर दे दे। चाहे अपने दोस्ती या रिश्तेदारों के बलेम में से, अगर उन का क्लेम हो, ८० परसेन्ट तक दे दे। मैं वसूल करूंगा और उस से एक किस्म का टोकेन ग्राउंड रेंट या लीज मनी १ रु० सालाना लूंगा, १०० गज के लिये। मैं इस को दोहराना चाहता हूँ। आपको मिसाल नहीं मिलेगी दिल्ली में कि ग्राउंड रेंट १०० गज के लिये १ रु० हो यह रुपया आप दे दें, चाहे अपनी जेब से दें चाहे स्टेटमेंट आफ ऐकाउन्ट्स में दे या किसी के क्लेम से दें। बहरहाल यह सिर्फ एक रुपया सालाना होगा १०० गज के लिये। और अगर आप इस वक्त कीमत न देना चाहें ६६ इमर्स या ६० इमर्स के इजारे पर रखना चाहें तो मेरा सुव है ३ परसेन्ट। गवर्नमेंट का जो वारोइंग रेंट है इस से ज्यादा है सुव के

अलावा ऐडमिनिस्ट्रेशन चार्जेंज बरैरह मिला कर कोई ढाई या तीन रु० महाबार उस का ग्राउंड रेंट बनता है। यह दोनों अप्शन ओपेन हैं। लेकिन नौन क्लेमेंट जो किरायेदार हैं या जो रमेश नगर और झील कुरजा बरैरह में एलाटीज है उनको भ्रष्टचार है कि कुछ रुपया देकर १०० गज के लिए १ रुपया सालाना दें, अगर २०० गज है तो २ रुपया सालाना दें और ८०० गज हो तो ८ रुपये दें। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में ग्राउंड रेंट बहुत ज्यादा है लेकिन इस वक्त मैं उस में नहीं जाना चाहता।

मैं यह भ्रष्ट कर रहा था कि मेरे दोस्त श्री नीशीर भरुचा जिनकी कि तकरीरे में रोख पड़ता हूँ, भाज उनकी नजर मेरे ऊपर भी पड़ी, मेहरबानी की नजर पड़ी और इसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि भाज बम्बई के एक पारसी भाई भी शारणाधियों के लिए अपने दिल में कुछ दर्द रखते हैं अब आया वह दर्द और हमदर्दी सयुक्त महाराष्ट्र की वजह से है या सयुक्त गुजरात की वजह से वेदा हो गई है यह मुझे मानूम नहीं

Shri V. P. Nayar: What is he talking?

Shri S. M. Banerjee: He monopolises the sympathy for the refugees.

Shri V. P. Nayar: He should be more polite and more polished

Shri Naushir Bharucha: There are many displaced persons in my constituency

Shri Mehr Chand Khanna: I was talking in Hindi For your benefit, and for the benefit of Shri V. P. Nayar, I may say that I am grateful to Shri Bharucha for having taken up the cause of the displaced persons. I do not know whether the real object was Samyukt Maharashtra or Maha Gujarat or .

Shri Nanshir Bharnaka: On a point of order. The hon. Minister has definitely attributed motives that the point of order which I raised was not on merit but on account of Samyukta Maharashtra or Maha Gujarat. That is a very unkind reference. He is attributing motives that a thing was done for a different political purpose.

Shri Mehr Chand Khanna: I am prepared to withdraw it unconditionally, if I have offended him. That is farthest from my mind.

मैं यह भ्रष्ट कर रहा था कि आप मेरे से चाहते क्या हैं ? क्या आप मेरे से यह चाहते हैं कि मैं अपने मकान की कम कीमत बसूल कर और शरणाथियों को कंसेशन दे दूँ ? क्या आप मेरे से यह चाहते हैं कि किराया जो ८ करोड़ रुपया आज तक बकाया है और हर साल बढ़ता जाता है उसके लिये गवर्नमेंट यह फैसला कर दे कि जहाँ तक शरणाथियों का ताल्लुक है और खास कर दिल्ली के रहने वालों का और जिनके कि जिम्मे कोई सवा ३ करोड़ या साढ़े ३ करोड़ की रकम है और जो कि बान मार्केट, गफकार मार्केट, देशबन्धु मार्केट और साजपतनगर बगैरह के मालिक हैं, उनमें कुछ बाहर के लोग भी हैं लेकिन बाहर वालों की तादाद कम है, उनके लिये आखिर मेरे से आप क्या चाहते हैं ? अगर आप उनसे किराया नहीं लेना चाहते तो आप मेरे से कह दीजिये कि जहाँ तक शरणाथियों का ताल्लुक है उन से कीमत मत लो और मकान मुफ्त दे दो और उस हालत में तो मेरा यहाँ दिल्ली में जलूस निकलेगा ।

अभी कानपुर के मेरे दोस्त जो कि सामने तहरीक रखते हैं वे बड़े जोर से कह रहे थे कि यहाँ पर डिमॉसट्रेशन हो जायगा और उबलपुबल मच जायेगी ।

जी हाँ जी वनजी . मैं ने आन्दोलन कहा था । लेकिन आप उसके लिए धमकीयें शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि एग्जिप्रियेट नहीं है ।

जी मेहर चन्द खन्ना : मैं अपने सायक दोस्त के बराबर धमकी नहीं जानता ।

और उन्होंने जो चेतावनी दी कि आन्दोलन हो जायेगा तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह आन्दोलन कौन करेगा ? मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उनके पास दिल्ली में सिर्फ वही शक्ति आयेगा जिसके कि पास मेरा मकान है, न वह लेना चाहता है, न किराया देना चाहता है, न भाराम से खुद बैठता है और न मुझे ही भाराम से बैठने देना चाहता है, ऐसे लोग उनके पास आते हैं । अगर मुझे यह कहा जाय कि इन के पास कोई गफकार मार्केट का एक आधकी आ जाय तो मैं जनाब की छिदमत में भ्रष्ट करता हूँ कि नहीं आयेगा । जो दुकान मैंने २ ढाई हजार पर बेची है और मुझे मालूम है कि ५००० रुपये उसकी पगड़ी है तो ऐसी हालत में कौन जायगा इनके पास ?

मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि जब से मेरे शरणाथी आई दिल्ली में आये हैं वे बहुत मुस्तैद हो गये हैं और हमारे जो यहाँ पालियामेंट के अम्बर साहबान रहते हैं उनका भी दरवाजा खुला है और वह उनके पास जाते हैं । एक नई बिरादरी कायम हुई है । परमात्मा इनको मेरे स्थान में कुछ हीसला दे और आपकी भी हीसला दे । आप उनकी कुछ तीमारदारी करें, कुछ अपने मकान में बसायें, कुछ अपनी जेब से दें ताकि मेरा बोझ कुछ हलका हो और मैं आपका बहुत मशकूर हुँगा और इससे ज्यादा मेरे लिये और क्या खुशी की बात हो सकती है कि वह आदमी जो कि शरणाथी नहीं है जिनका कि शरणाथियों से कोई बास्ता भी नहीं रहा, १०, ११ वर्ष उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया आज वे उस मिनिस्टर से भी जो कि एक खुद शरणाथी है और सब कुछ बहा पर खो बैठा है उससे भी ज्यादा दर्द रेफ्यूजीज के लिये मेरे दोस्त के दिल में पैदा हो गया है और उनके लिए जो आपके दिल में एक तड़प है मैं जनाब आपकी वसातत से उनका शुक्रिया अर्पण करता हूँ

उपस्थित नहीदय इसके बार बार
कहने की जरूरत नहीं ।

Shri Mehr Chand Khanna: A lot of attacks were made in the morning. You were not then there in the chair.

Mr. Deputy-Speaker: They were made during

Shri Mehr Chand Khanna: I was told that I am taking rent from people who are living in sub-human conditions, I am a worse extractor and all that.

Shri V. P. Nayar: Not Shri Khanna, but the Minister.

Shri Mehr Chand Khanna: But the Minister happens to be myself.

Shri Narayanankutty Menon: May I make an appeal that at least when the hon. Minister replies he should speak in English? Because, Hindi we can understand, but not this Urduised Hindi. If it pleases him, let him speak in Hindi.

Shri Mehr Chand Khanna: You want me to switch over to English?

Shri V. P. Nayar: Either to English or Hindi.

Mr. Deputy-Speaker: That he has explained in the very beginning those who lived in West Pakistan, they were trained and educated in Urdu.

Shri Narayanankutty Menon: He speaks excellent English during the Question Hour.

Mr. Deputy-Speaker: The last speech was made in Hindi. Therefore, perhaps he is replying to that.

श्री मेहर चन्द खन्ना : बहुत सी तकरीरे
यहाँ पर हिन्दी में हुईं । पंडित ठाकुर दास
भार्गव ने भी हिन्दी में तकरीर की . . .

उपस्थित नहीदय आप हिन्दी में बोलें
वा अंग्रेजी में, यह आपकी मर्जी पर है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अब साहब मैं
उत्तर से अपना रुख छोड़ता हूँ और जरा
अपने इन भाइयों की तरफ झुका चाहता हूँ
जो कि मेरे साथ बैठे हैं । उनको मेरे साथ
प्यार भी है, हमदर्दी भी है । वह चाहते हैं कि
गवर्नमेंट का काम भी चले और गवर्नमेंट का
जो रुपया नाजायज तौर पर बचल नहीं हो
रहा है वह भी बचल हो और फिर कुछ दिल
में हमदर्दी भी है । और उन लोगों के साथ
जिन्होंने कि इस मुल्क के खातिर सब कुछ
कुर्बान किया उनके साथ अगर मुल्क की
हमदर्दी नहीं होगी तो किस के साथ होगी ।
लेकिन मुझे अपने पुराने मित्र श्री अजित सिंह
सरहद्दी की तकरीर सुन कर जरा अफसोस
हुआ । मैं उनकी तकरीर सुन रहा था और
वे तो बड़े जोर से यहाँ तक कह बैठे कि
शायद जाते जाते मैं अपने शरणार्थी भाइयों को
पाटिंग किक दे रहा हूँ । इन अल्फ़ाज़ को सुन
कर मुझे बड़ा दुःख हुआ लेकिन मुझे समझ में
नहीं आता कि ऐसा उन्होंने किस बिना पर
कहा । मुझे पता नहीं कि इस ऐक्ट में जो दफा
२१ है उसे पढ़ा भी है या नहीं । अब वे एक बड़े
लायक वकील हैं । कई दफ़ा मेरा उन्होंने
हाथ पकड़ा । हमारी पार्टी के सेक्रेटरी
हुआ करते थे और हम एक ही बेंच पर
बैठा करते थे लेकिन जो उन्होंने
तकरीर की और आर्गुमेंट्स दिये उनसे
मुझे कुछ हैरत हुई और अफसोस भी हुआ ।
अगर उन्होंने दफा २१ पढ़ा होता तो शायद
उन्हें इतनी लम्बी बीड़ी तकरीर करने की
जरूरत नहीं पड़ती । इस ऐक्ट का दफा २१
इस हाउस ने पास किया है और उसमें तीन
बीजे हैं । पहली बीजे तो यह है

"Any sum payable to the Government in respect of any property in the compensation pool may be recovered in the same manner as an arrear of land revenue"

This is the law. It has been laid down in section 21 of this Act.

कि जो रुपया कि शरणार्थी से वसूल होता है वह एक एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू वसूल हो सकता है। अब यह कानून है। आया यह हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है या फंडामेंटल राइट्स को इनफ्रिज करता है मैं नहीं जानता। लेकिन तीन सब-क्लाज हैं। अब आप आगे बलिये। इसमें आगे लिखा है :

"and the Settlement Commissioner shall, after making such enquiry as he may deem fit and giving to the person by whom the sum is alleged to be payable, an opportunity of being heard . . ."

This is very important.

"decide the question and the decision of the Settlement Commissioner shall, subject to any appeal or revision under this Act . . ."

I hope it satisfies my hon. friend Shri Dube.

"be final and shall not be called in question by any court or other authority."

14 hrs.

एक सब क्लाज २ मौजूद है। आप तो जानते हैं कि वह एक एबनारमल सिचुएशन की और एक एबनारमल गैट बनाया शरणार्थियों को बसाने के लिये। उसके मातहत चाहे इक्वैली प्रापर्टी किसी शहरो के पास हो, या किसी देहाती के पास हो या किसी शरणार्थी के पास हो, उससे तमाम रुपया वसूल किया जाये ताकि शरणार्थी को आबाद किया जाये या उसको वह प्रापर्टी एलाट की जाये और सेटिलमेंट कमिश्नर का फंसला आखिरी होगा। और तीसरी बात यह है, इसको आप न मालूम क्या कहेंगे :

"A sum shall be deemed to be payable to the Custodian notwithstanding that its recovery is barred by the Indian Limitation Act, 1908."

यह है दफा २१। मैं बरूबा साहब की खिदमत में धर्ज करना चाहता हूँ, वह उस वक्त हाउस में नहीं थे। यह क्लाज २१ इस ऐक्ट में बतौर अमेंडमेंट इंस्टर्ट किया गया है। लेकिन साथ ही दफा ३० में यह लिखा है :

"No person shall be liable to arrest or imprisonment in pursuance of any process issued for the recovery of any sum due under this Act which is recoverable as an arrear of land revenue."

तो हमने इस दफा में एग्जेंप्शन भी दिया है। जहां बकाया मालिया की तरह से वसूल हो सकता है, एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल हो सकता है, जहां डिमाण्ड हो सकता है, जहां कुर्की हो सकती है, जहां बंदखली हो सकती है या इन्विज्शन हो सकता है और जहां ग्राडिनरी ला के नीचे एक आदमी कैद भी हो सकता है, फँका भी जा सकता है, उन हालात में शरणार्थी के लिये हमने सन् १९५४ में यह फंसला किया कि शरणार्थी को इससे एग्जेंप्ट किया जाये ताकि वह अरेस्ट न किया जाये। तो मेरे क्वाल के मुताबिक यह कहना कि मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूँ जो गैर कानून है या ऐसी कोई चीज कर रहा हूँ जो कि शरणार्थियों के बरखिलाफ है तो यह किसी भी हद तक दुस्त नहीं है, क्योंकि इस हाउस ने यह फंसला किया था कि शरणार्थी से जो रुपया वसूल करना है वह बतौर एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू वसूल हो सकता है। मुझे यह सुनकर दुःख हुआ है जब शर्मा जी ने यह कहा कि वह चीफ सेंटिलमेंट कमिश्नर से मिलने गये थे पर मिल नहीं सके। यह दुस्त होगा। मैं यह नहीं कहता कि जो वह कहते हैं वह गलत है। लेकिन मुझे यह भी नहीं मालूम कि उन्होंने पहले से एप्पाइंटमेंट किया था या नहीं, अगर किया था तो उनको क्यों लड़ा रखा गया मैं नहीं जानता। लेकिन साहब, इस वक्त मेरे पास ८००० अपीलें पैडिंग हैं और वह

[श्री मेहर बन्ध सन्ना]

अपीने शरणार्थी भाइयों की हैं और उनमें यह कहा गया है कि यह मुझे एलाट कर दो मेरी बहिन को मत करो, मुझे एलाट कर दो मेरे नेबर को न करो। इसकी वजह यह है कि कीमते बहुत बढ़ गयी हैं खास कर बड़े बड़े शहरों में जिसकी वजह से मेरी जायदाद पर भाव बढ़ा भारी प्रीमियम है और जिसको यह जायदाद मिल जायगी वह उससे दो बार पांच दस हजार रुपये का फायदा उठा सकता है। अगर धाड़िनरी ला चलेगा तो मुझे सेक्सन २१ (२) का प्रोसीज्योर फालो करना होगा। लेकिन मेरे सामने क्लाज ३० भी है। तो मेरे सामने एक ही रास्ता रह जाता है कि मैं बफा ३० को सलम कर दूँ और एक शरणार्थी और एक लोकल के दरम्यान पांच बरस बाद कोई फर्क न रहे। लेकिन आप कहते हैं कि रिफ्यूजीज के अग्रेन्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। मैं तो उसे अभी भी लोकल पॉपुलेशन के मुकाबले प्रिफरेंस दे रहा हूँ। भाव अगर हिन्दुस्तान का कोई नागरिक डिफाल्टर होता है, निग्लेक्ट करता है, तो उसके खिलाफ एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तीनों स्टेजेज एप्पाई होती है। लेकिन जहाँ तक शरणार्थी का ताल्लुक है उसके खिलाफ जो तीसरी स्टेज है उसको निगेटिव कर दिया गया है। तो मैं अपने दोस्त सरदार अजित सिंह से यह कहना चाहता हूँ कि वह अगर यह समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह गलत है तो मैं इस पर गौर करने को तैयार हूँ। लेकिन वह देखें कि मैं एक शरणार्थी को सेफगार्ड दे रहा हूँ। मैं उसको एक हाइएस्ट अफसर के सामने जाने का मौका देता हूँ कि वह एक्सप्लेन करे और वह अफसर देखें कि यह शरणार्थी दे सकता है या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि उसको यह सेफगार्ड न दिया जाये और सेक्सन ३० को एक दम एबरोगेट कर दिया जाये। अब आप देखें कि मैं एक शरणार्थी को क्या सहनियत दे रहा हूँ। बाबजूद इसके कि मेरा करोड़ रुपया बकाया है, बाबजूद इसके

कि मैं इसको एब एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू बसूल कर सकता हूँ, बाबजूद इसके कि इन हालात में किसी भी हिन्दुस्तानी पर धाड़िनरी ला लागू होता, मैं एक शरणार्थी को मौका दे रहा हूँ कि वह मेरे हाइएस्ट अफसर के सामने जाकर एक्सप्लेन करे। अगर वह अफसर यह देखता है कि यह धाड़मी दुबो है तो उसके खिलाफ कार्यवाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने तो यह सहनियत रखी है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि मेरा काम तो बसाना है, उजाड़ना नहीं है।

श्री अजित सिंह सरहदी : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप दुबे साहब का वह अवेडमेंट मान लेंगे कि जो सिविल प्रोसीज्योर का प्रावीजन है वह मान लिया जाये और बीच सैटिलमेंट कमिशनर की पाबर्स को लिमिट कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो कहते हैं कि हाउस ने यह फंसला किया है कि यह एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह बसूल होना चाहिए।

श्री मेहर बन्ध सन्ना : यह तो एक बकीस का सवाल है एक अनपढ़ धाड़मी से। मैं इसका क्या जवाब दूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर सेक्सन २१ as it stands is accepted, I have no objection. But, I am providing an additional safeguard in asking my Chief, Settlement Commissioner to look into hard cases and see that unless a man is wilfully neglecting and refuses to pay, no action should be taken against him. The only remedy open to me is this with a view to treat a national of the country at par with a displaced person today after five years of rehabilitation or ten years of rehabilitation

Shri V. P. Nayar still challenges me that the rehabilitation programme is not complete. I have never said that the rehabilitation programme has been completed. When he was quoting me, I have used two phrases there: 'by and large' and 'residual problem'. To think, in terms of 100 per cent rehabilitation, I am prepared to admit, is impossible.

Shri Narayanankutty Menon: That question has been asked in Hindi. He has turned to English. That has not been replied.

Shri Mohar Chand Khanna: When I spoke in Urdu my hon. friend is not conversant with my Urdu. The trouble has been this. You can either have this Act as it stands, you can have section 30 if you want with the safeguard that I am providing. Or you can abrogate section 30 completely and have section 21 as it stands. If it is felt that we are doing something which is going to be harmful to the interests of displaced persons, I can assure you that I myself would be the first person to look into all these matters.

There is only one thing I wish to say in the end, that we are not shylocks. We have spent nearly Rs. 200 crores on the rehabilitation of displaced persons from West Pakistan. We have spent nearly Rs. 200 crores on payment of compensation both in the rural section and in the urban section in this country. My programme of compensation is still continuing. We have paid nearly Rs. 50 or Rs. 60 crores in hard cash. This Government having done all that, this Government which is faced with financial difficulties, this Government which had to borrow loans from outside, so far as the displaced person is concerned, no money has ever been grudged. But, I must assert and I must maintain that to those who are in distress, we shall see that every possible relief is given; not to those who wish to default, who do not want to pay the general revenues of the country, I am sorry I cannot be a

party to that. I receive 20 to 30 letters from the M.Ps. everyday. Most of my hon. friends who have taken part in the debate write to me. I look into those individual cases. If an individual case is brought to my notice, may be an unfortunate widow in Kanpur, an unfortunate brother in Madhya Pradesh or maybe in U.P., I can certainly have these cases looked into. Our idea is not to put people into distress. My idea is to alleviate the sufferings of displaced persons. As I said two days ago, we must not place a premium on default. Those who can pay should pay and they should be made to pay.

Mr. Deputy-Speaker: Am I to put Shri Vajpayee's motion to the vote of the House?

Shri Vajpayee: Yes.

Shri S. M. Banerjee: Both the motions may be put together, my own motion also. There are three motions for circulation.

Mr. Deputy-Speaker: Only one—Shri Vajpayee's—was moved. There was no other motion that was moved.

The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1959."

The 'Noes' have it.

Some Hon. Members: The 'Ayes' have it.

Mr. Deputy-Speaker: We shall have to wait till the Lunch Hour is over. Are Members really serious to have a division?

Shri Narayanankutty Menon: Voting may be done on the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: The 'Noes' have it.

The motion was negatived

Mr. Deputy-Speaker: Now, I come to the main motion.

The question is:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted

Mr. Deputy-Speaker: We shall take up clause by clause. Clause 2.

Clause 2—(Amendment of section 30)

Pandit Thakur Das Bhargava: I beg to move:

Page 1, lines 13 and 14,—

for "stating the grounds therefor" substitute—

"if he finds that the person defaulting is able to pay the amount and is contumaciously neglecting or refusing to pay while the Rehabilitation Ministry has discharged its obligations towards him as required by law, rules and assurances given by the Government".

Page 1,—

after line 16, add—

"Provided that any sum due under the Act shall mean only such sum—

(i) as is not barred by limitation;

(ii) as is not due by way of rent accrued due before the year 1954;

(iii) as is not due on account of taccavi for food or for any reason considered to be unjust or inexpedient for recovery by a Committee appointed by the Government consisting of—

(a) the Secretary of the Rehabilitation Ministry;

(b) a representative of the refugees;

(c) a member of Parliament."

Page 1,—

after line 16, add—

"Provided that the person against whom the order has been passed shall be entitled to appeal to the Central Government which may pass such order on appeal as it thinks fit."

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने तीन एमंडमेंट्स दी हैं। मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं उनकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने कहा और वादा दिया है कि जो हार्ड केसिस होंगे, जो ऐसे केसिस होंगे, जिन के अन्दर कमिश्नर साहब ने गलती की होगी और ठुस्त नहीं किया होगा, उनके अन्दर वह खुद इंटिरेस्ट लेकर, उनको ठीक कर देंगे। जहाँ तक आपका एश्योरेंस है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसा एक भाई ने कहा कि गोपियां तो यहाँ रहेंगी और गोपाल यहाँ से चले जायेंगे, ऐसी हालत में यह काम कैसे होगा। यह चीज बैस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज के बारे में है और आप बंगाल में चले जायेंगे और वे लोग आप को कहां कहां देखने जायेंगे। इस वास्ते अगर आप उनको अपील का राइट दें कि अपील आपके पास हो सकती है, तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। उस सूरत में आपको अख्तियार होगा कि आप अपने डिप्टी को इस काम के लिये मुकर्रर कर दें, सैक्रेटरी को कर दें या किसी और आथोरिटी को कर दें। मेरे एक दोस्त ने कहा कि लोकलज और डिसप्लेसड परसंस में कोई फर्क नहीं रहना चाहिये क्योंकि रिहैबिलिटेशन हो चुका है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं अब भी चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा कि अब तक चलता आया है क्योंकि आपने भी इस बात को अभी तक नहीं माना है कि रिहैबिलिटेशन सौ फीसदी पूरा हो गया है। तो जो अपील की बात है,

उसको धाप रखने में जगह दें वें या उसमें निवास दें, मैं संतुष्ट हूँ हो जाऊंगा। धाज अगर किसी व्यक्ति को धीर किया जाता है तो वह सुधीर कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन यहां पर मैं नहीं चाहता कि इतना लम्बा चौड़ा प्राविजन हो और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि उसकी धर्मीय बुद्धि सेटल गवर्नमेंट के पास हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इसमें कोई झगड़े की बात भी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो लोग दे सकते हैं, देने के काबिल हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं, उनको दे देना चाहिये और मैं ऐसे लोगों के हक से नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनसे बसूल किया जाए। लेकिन मेरी जो मुश्किलता है उनको मैं धन करना चाहता हूँ और मैंने पहले भी धन किया था। वे रीयल हैं। जो लोग जिद्द देना नहीं चाहते हैं, उनसे बसूल किया जाना चाहिये। लेकिन मैं धन करना चाहता हूँ कि बहुत से केसिज होते हैं, बहुतसी ऐसी डिटेल्स होती हैं, जिनको कि लोग हमारे नोटिस में लाते हैं और जिनका धायद मिनिस्टर साहब को पता भी नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्जोरिसिस दिये गये थे, गार्डन साहब की तरफ से या दूसरों की तरफ से उनको पूरा किया जाना चाहिये। गार्डन साहब ने अगस्त सन् १९४६ में कहा था कि दिल्ली के जितने भी किराये हैं वे अब से पहले के मैं माफ करता हूँ और यह भी कहा था कि सन् १९४० के मार्च तक भी अगर हाउस इजाजत दे तो मैं कंसिडर करूंगा कि धाया वे भी माफ कर दिये जायें। मैं जानता हूँ कि धाज भी लोगों के पास नोटिस आते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से जिनके अन्दर सन् १९४७ के किराये भी शामिल होते हैं। मुझे पता नहीं कि यह जो किराये मैं माफी दे दी गई थी, वह पूरी तरह से उनके हिसाब में दिये गए हैं या नहीं। इस बातसे मैं चाहता हूँ कि हमारे मिनिस्टर साहब, गार्डन साहब ने जो रिपॉजिट की

थी, सभा साहब ने बुद्ध दी थी, धाजित प्रसाद जैन साहब ने दी थी, वह जरूर मिलनी चाहिये और जो कहा जा चुका है उस पर धमल होना चाहिये। मैं जानता हूँ कि किस तरह के डिपार्टमेंट द्वारा इन पर धमल नहीं होता है। मैं खास किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करता हूँ। श्री सभा साहब और धर्म वीर साहब के दिल में इन लोगों के लिए जो सिम्पथी है, वह अगर इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर एक धादमी में हो तो शिकायत का कोई शिका ही नहीं आ सकता है। लेकिन मुझे मालूम है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने १२० धाज-मियों के केस में जो पोट मस्जिद रिपयूजी क्रैम्प में रहते हैं देखे और किराया माफ कर दिया। दूसरे के बारे में जब मिनिस्टर साहब को शिकायत की गई कि किराया बहुत ज्यादा लिया जाता है तो उन्होंने उसको कम कर दिया। इस तरह के कितने ही केस में उन्होंने किराया कम किया है। और कभी जो की वह उस दिन से नहीं की जिस दिन से कि उसे कम किया बल्लि शुरू से कम की। मैंने कुछ पुराने रिपयूजियों का किस्सा सुनाया जिन्हें १२६० किराया लिया जाता था उसको उन्होंने साढ़े बार ६० किया, और ऐसा उस दिन से किया जिस दिन से कि किराया लगाया गया। मुझे मालूम है कि उनके डिपार्टमेंट ने एक दिन बैठ कर सारे रिपयूजीज का किराया घुना कर दिया, लेकिन उन्होंने उस को कम कर दिया। पर पता नहीं कि उसके बाद क्या वाकया हुआ, हमें यह भी नहीं मालूम कि उनके हुकमों पर दरअसल धमल दरामद भी होता या नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था रेंट रिमेशन कमेटी। रेंट रिमेशन कमेटी ने तमाम लोगों के केसेज को देखा और यह मंजूर किया कि कल का धादमी जो गरीब थे उनका रेंट रेमिट कर दिया जाय। उनको धनाउन्स भी कर दिया कह दिया कि तुम्हारा रेंट रेमिट हो गया, लेकिन रेमिट के नोटिस उन के नाम धाज भी जाते हैं। मैं नहीं कहता कि यह सब कुछ कोई धाज कर करता है, लेकिन मालूम

[पंडित ठाकुर दास भागंब]

होता है कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर इतना बलोस काम है, इतना बेहूष काम है लाखों आदमियों का काम है जिस की वजह से बालूम नहीं क्या होता है कि बी बाकायदगी बवर्नमेंट आफिसेज में हुमा करती है वह इस मिनिस्ट्री में नहीं होती। लोगों की चिट्ठियां आती है शायद पोस्ट आफिस डिपार्टमेंट उन का मसकूर होगा कि हमारे लाखों चिट्ठियां आती हैं उन का जबाब नहीं दिया जाता। जब तक मिनिस्टर साहब को पर्सनली न लिखा जाय पता नहीं क्यों इन की मिनिस्ट्री वाले चिट्ठियों का जबाब नहीं भेजते। मैं समझता हूं कि उनका मिनिस्ट्री में बहुत से शरणाधी हैं जो कि शरणाधी लोगों की तरफ सिम्पैटिक होंगे, लेकिन शायद ब्यूरोक्रेसी का काम दुनिया में इसी तरह से चलता है। १२० आदमियों में से ४० आदमी लाजपत नगर के डबल स्टोरीड हाउस में रखे गए। उन के निकाले जाने का सवाल है आनरेबल मिनिस्टर साहब को लोगों ने पर्सनली दस्तख्त दी। उन्होंने कहा कि ब्यूज के नोटिस वापिस ले लो, मत नोटिस जारी करो। लेकिन अब फिर उन्हीं ब्यूज के नोटिस जारी होने लगे। मैं कहता हूं कि यह एक अजीब चीज है कि अगर मिनिस्टर साहब के पास खबर पहुंच जाय तब तो बिचड़ा हो जाय नोटिस लेकिन कुछ दिन बाद फिर दुबारा जारी हो जाती है। अब उनको निकालने के लिये फिर कोशिश हो रही है। मेरी दर-ब्यास्त है उनको वहां से न हटाया जाय और जो किराया माफ हो चुका है उन से बसूल न किया जाय।

मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि उन्होंने सन् १९५५ से किराया नहीं लिया। सारे शरणाधी उन के मसकूर हैं इस चीज के लिये लेकिन उस के अन्दर पता नहीं क्या राज था। कि जो सन् १९५४-५५ में बेरीफाईड हो गये क्लेम, जिन का रुपया फौरन मिलना चाहिये था, वह अब तक नहीं मिल पाया। इम्प्ला के बिना पर उन्होंने किराया लेना बन्द

कर दिया। पर बेरीफाईड क्लेम का रुपया उन को नहीं दिया गया तो कम से कम सूद तो मिलना चाहिये। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि सन् १९४९ के आये हुए हैं और आज सन् १९५९ तक उन का जो बेरीफाईड क्लेम है उनका रुपया नहीं मिल पाया है। कानून की रू से अगर उन के लिये १ रु या ८ भा० क्लेम भी नहीं मिल सका तो कम से कम सूद तो दे दिया जाय? आप ने उनका किराया माफ कर दिया। यह बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज जो टम्पोररी जगहों पर गये हैं, मसलन पुराने किबे या कोटला के लोग हैं या जिन को पानी घाटे मसजिद कैम्प साज-पतनगर में बसाया गया, उन का किराया माफ नहीं हुआ। उन से अब तक किराया लिया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि जब आप उनको सूद नहीं दे रहे हैं क्लेम का तो उन से किराया क्यों ले रहे हैं? आप इस चीज का कंसीडर कीजिये कि उनको सूद दिया जायगा या नहीं।

बी मेहर खन्द बसा दिया जायेगा उन को।

पंडित ठाकुर दास भागंब : दिया जायेगा या नहीं, यह आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस को कंसीडर कीजिये। मेरी आप से यह शिकायत है। मेरी शिकायत यह नहीं है कि आप ही फैसला करें। मैं ने कमेटी के वास्तु अमेंडमेंट दिया है उस में सब से अक्बल में ने सेक्रेटरी का नाम रखा है, यह बात नहीं है कि मुझे किसी पर एतबार नहीं है आप के सिवा। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों को आप उस कमेटी में रखते हैं अगर वह यह समझें कि यह धनजस्ट है तब आप इस को मानिये। बुराक की तकाबी का रुपया जो आप ने खुद छोड़ा लेकिन अब भी ब्यूज में शामिल है जिनने लोगों का पड़ा हुआ है, जिनका हिसाब अब तक नहीं हो पाया है। इस में कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिन के ऊपर जुडिशल डिट-मिनेशन नहीं हुआ, सिम्पैटिक डिटमिनेशन नहीं हुआ पहले। आप में स्टेटमेंट दिया,

सन् १९५६ में जो एक्ट था उस की दफ्तर २१ के मुतालिक स्टेटमेंट दिया जो कि श्री मूलचन्द दुबे के एतराज पर था। आप ने कहा कि जब तक इईक्वी प्रापर्टी डिक्लेअर हुई उस से पहले का जो किराया है उसे आप बसूल नहीं करेंगे। आप ने बिल्कुल ठीक फरमाया और कहा कि आप ने ईस्ट्रक्शन भी जारी कर दिये, लेकिन बाहिर नतीजा क्या हुआ? सन् १९४७ की १५ अगस्त से अब तक किराया बसूल किया जाता है क्योंकि आप ने यह फरमाया कि जिस दिन से इईक्वी प्रापर्टी डिक्लेअर हुई उस में और १५ अगस्त, १९४७ में फर्क है। आप की मिनिस्ट्री क्या कहती है? उस का कहना है, कि बर्डेन आफ फूक तो उस धादमी पर है जिस से किराया लेना है, वह साबित करे कि कब से अक्युपेशन हुआ। लेकिन किराया तो आप ले रहे हैं, आप का फर्ज है कि आप उस को साबित करे, वह कैसे करे? इस लिये मेरी गुजारिश है कि यह जो रकम है इस में बहुत सी चीजें हैं जो आप की तबज्जह की मुस्तहक हैं। आप की मिनिस्ट्री के लोगों में से बहुत से ऐसे हैं जिन पर आप को एनबार है और डिस्प्लेन्स पर्सन्स को भी एनबार है। मैं आप का नाम कमेटी में नहीं लेता क्योंकि आप क हाथ तो बहुत बिजी हैं लेकिन आप की मिनिस्ट्री में जो ऐसे धादमी हैं जिन को आप जानते हैं, उन को एक छोटी सी कमेटी बना बीजिये, मैं आप को इस छोटे से काम के वास्ते तकनीक नहीं देना चाहता। मैं यह भी नहीं कहता कि वह पार्लियामेंट के प्रेजेन्टेंटिज हो, अपने मिनिस्ट्री के लोगों की कमेटी बनाये जो कि खुद स्कीनिंग करे, लेकिन वह देखे जरूर कि जो रकम आप लेना चाहते हैं वह किनबाक्या उस से हू है। मेरा कहना है कि अगर आप यह कहेंगे कि दो, तो वह दे तो देगे, लेकिन खुशो से नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि जिस धादमी को फायदा पहुंचता है वह खुशो से रुपया दें, इस के अन्दर आप की ज्यादा धान है, इस में नहीं कि जो दया आप चाहें वह आप को दे लेकिन डर के बारे में। मेरी गुजारिश यह है कि जिन को दरअसल रियायत मिलती

रही, जिन के वास्ते हुकम हो चुका कि उन का किराया बसूल नहीं होगा, कम से कम उन पर तो आप जरूर हुकम दें, उन की फाइलों पर कार्रवाई करवायें। आप ने उस को रोका है लेकिन उन के नाम फिर हुकमनामें जारी हो गये हैं इसलिये आप को उन को फिर देखना चाहिये।

मैं अपने फर्ज में कोताही करूंगा अगर मैं जो पुराने किले का अगड़ा है उस के एन्ड पर आप को मुबारकबाद न दू। मैं आपको मुबारकबाद देता हू, आप ने जो स्टेटमेंट कल दिया, उस के बारे में कि आप ५०० रु० गानक्लेमेन्ट्स को देने को तैयार हैं। आज सब शरणागिरी की तरफ से आप को मुबारकबाद देने के लिये खड़ा हूँ। आप के ऊपर जो हमारा क्लेम है वह यह है कि जब तक आप यहां पर मिनिस्टर रहें, जब तक आप यहां का भाई न छोड़ें जब तक आप उन को वैमान लें। मैं ने अर्ज किया था कि मुमीबत वह होती है कि आप के होने हुए भी हम पर ज्यादाती होती है। आज कारपोरेशन हम से ३०० रु० एक नक्शे के मांगती है। जिस तरह से आप ने बाजपेयी जी को कहा उस तरह से कह कर मुझे न डालिये। मेरा कहना यह है कि सारी मुसीबतों को देखने हुए आप उन को मकान बना कर बीजिये, आप उन को ५०० रु० मत दीजिए।

अगर आप उनको मकान बना कर देते हैं तो उन को कोई दिक्कत नहीं है।

दूसरी बात जो मैं आप से अर्ज कर रहा हू वह यह कि आप ने खुद फरमाया था परसों कि सिर्फ सेटलमेंट कमिशनर इन कंसेज को देखने के काबिल होंगे। सिर्फ वही डाइरेक्शन देंगे कि जो भदा कर सकते हैं लेकिन करले नहीं है। यह अल्फाज इस में दर्ज है:

"stating the grounds therefore; we do not know what the grounds are"

लेकिन यह जुडिशल कोर्ट नहीं है। आप के सेटलमेंट आफसर से मैं बाकिफ नहीं। आपके

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लिख दीजिये कि अगर एबिलिटी टू पे होते हुए भी कंट्रोल नहीं है तो उस से नहीं लिया जायेगा। जैसा मूलबंद जी दुबे ने फरमाया, जहाँ में दर्ज है कि डिस्क्रिप्शन है इन केसेज के अन्दर सिविल प्रोसिजर कोड में वह रूल और उसूल सब जगह एप्लाई करते हैं। अगर आप यह कहें कि आप बराबर का हक देते हैं दुबेरी के खिलाफ तो मैं कहता हूँ कि यह आप का कहना बजा नहीं है। आप ने डेट ऐडजस्टमेंट ऐक्ट में दफा ३० में लिखा हुआ है कि आप लोगों को कैद नहीं करेंगे।

"Between man and man, between decreeholder and judgement debtor, no displaced person can be sent to jail"

मैं ने डेट ऐडजस्टमेंट ऐक्ट की दफा ३० का हवाला दिया था। पंजाब टेनैन्सी ऐक्ट की दफा ६७ में कहा गया था कि किसी मुजाहिरा को मालिक मकान रेंट के लिये जेल नहीं भेज सकता। मैं चाहता हूँ कि २ सेक्शन में जान बूझ कर ड्यूज नहीं देते हैं उन के खिलाफ भी कारवाई की जाय। जो दे सकते हैं और बदमाशी करते हैं उन के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, मैं इस बसूल के साथ सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यह कहें कि लोगों की निगाह में आप यह बहुत अच्छा कानून बना रहे हैं, तो यह आप की बूल है। दुनिया में कोई भी शक्ल मनी डेकी से कैद में नहीं भेजा जाता। साग का सारा सा बेवज हो गया है। क्या मैं श्री गाडगिल साहब का हवाला दूँ जिन्होंने कहा कि हम किसी आदमी को उस के किराया के बारे में जेल नहीं भेजेंगे। यह आपकी मुसलमा पालिसी है। इस पालिसी में आप जिसके भी खिलाफ चाहेंगे कारवाई करेंगे, क्योंकि इस मामले में आप को अक्षयार दिया जा चुका है, सब क्या मैं यह मान लूँ कि जो दफा २१ बनी थी यह उस से भलग दफा बनी है और वह ऐसी है जो कि आम लोगों के हक में है।

हमने स्पेशल ला बनाया और स्पेशल अक्षयार दिये। लेकिन मैं भयब से घबड़ा करमा चाहता हूँ कि अब १२ वर्ष के बाद आप ऐसे लोगों से जो किराया दे भी नहीं सकते हैं उन से भी आप रेंट बसूल करना चाहते हैं। आपने अपनी तकरीर में जरूर इस के बारे में फरमाया है लेकिन तकरीर में उसका खिक कर देने से तो काम नहीं चलने वाला है क्योंकि यह स्पीच तो यही रह जायगी। इसलिए मैं ने उन के बाबत जो अपनी तरफ़ीमें सुनाई है उन पर और कर के उन को क़बूल किया जाय या फिर मिनिस्टर साहब अपनी तमाम स्पीच सेंटिलमेंट अक्षर के पास भेज दें जो कि हर केस को डिस्टाइड करते वक्त स्पीच को रिक़र कर लें। इसी चीज को मदेनजर रखते हुए मैं ने ४ नम्बर की तरफ़ीमें पेश की है जिस से कि सेंटिलमेंट अक्षर को मासूम हो जाय कि मेरे इस से ज्यादा अक्षयारात नहीं हैं और कहीं वह गुस्से में घा न जाय क्योंकि गुस्सा उसका जायज है। मैं इस से इंकार नहीं करता कि गवर्नमेंट का जो रेप्यूजीब पर रेंट बकाया हो वह उन से जैसे भी हो बसूल किया जाय और ऐसे केसेज में जिन में कि सब टेनेन्ट से तो वह किराया बसूल करते रहें लेकिन गवर्नमेंट को रेंट न दें तो वैसे केसेज में सरकार अगर सस्ती बरतती है तो वह समय में आने वाली बात है क्योंकि वह वेरंग कंपेसिटी में होते हुए भी रेंट पे नहीं करते हैं लेकिन मुझे यह डर है कि ऐसे केसेज में इस तरह की आबिटरेरी पावर देना और किसी तरह से उन के हाथ बांधे हुए, इस तरह की अनलिमिटेड और आबिटरेरी पावर नुकसान देह साबित हो सकती है। इस बास्ते मैं ने यह अपने ४, ५ और ६ नम्बर की तरफ़ीमें हाउस के सामने मंजूरी के बास्ते रखी है और मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब इनको क़बूल कर लें। इसका फा सफावा यही है कि यह तरफ़ीमें मंज़ूर की जायें।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं इस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं ठिक

हमना ही भर्ज करना चाहता हूं कि जो सेवकान ३३ है उसकी तरफ मैं आपकी-तबज्जह दिलाता चाहता हूं। मैं ने यह कहा था कि अगर कोई ऐसा कौंस हो जो कि डिब्रविन हो हाई हो तो उसकी बाबत कोई एम० पी० मुझे लिख सकते हैं।

अब यह जो हमारे नूर्ग पडित ठाकुर दास भार्गव के दिल में सदसात है, दिल में डर है, और तकरीबन वह नमाम चीजें जो कि उन्होंने आज कही वह उन्होंने आज मे तीन वर्ष पहले भी अपनी तकरीर में कही थीं। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। इन चीजों के मुताबिक उस वक़्त भी सोचा गया था। अब आज मेने पाम पावर्न है। अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जिस में कि आप समझते हैं कि शरणाबियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो मैं तो उसको देखने के लिये तैयार हूं। बाकी रहा कि साहब कृष्ण कही रहेंगे और गोपिया कही रहेंगी तो उस के लिए मे बेकार परेशान होते हैं क्योंकि जब तक अमृरियत चलती है उस वक़्त तक यह सदन भी चलता रहेगा और दूसरा सदन भी चलता है और साल में ६, ७ महीने पालियामेंट बैठती है और कृष्ण को मजदूरन ज्यादातर यही दिल्ली में रहना पड़ता है भन्ने दो गोपिया कही हो। ईस्टर्न पाकिस्तान में हो या कही और। लेकिन मैं तो अपना बेस्तर वक़्त यही दिल्ली में गुजारता हूं और इसलिये उसको कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं बंगाल में चला गया तो मैं जो शरणार्थी भाई हैं मैं उनको कोई भन जाना हूं। आबिर गवर्नमेंट चलती है और यहा पर मिनिस्ट्री कायम है और वह काम करती है।

श्री बाबयेबी डर तो इस बात का है कि श्री कृष्ण गोपियों के कपडे जो उतार कर न लें जायें।

श्री मेहर बाबू साहा: कपड़ा से जाने की बात आप क्या पुछते हैं। आप तो उनके पास कपड़ा

भी है, रजाई भी है लिहाफ भी है और दुशाला भी है। अब मेरे दोस्त को तो दरअसल मेरा शुक्रगुजार होना चाहिये कि मैं ने इस रेफ्रूमी प्राबलम को बिलकुल पूरी तरह से मुकम्मिल नहीं किया और उस वजह से कुछ लोग आपके पास आ जाया करते हैं और आपको यहां उनकी नुमायन्दगी करने और उनके लिये अपने दंद के इबहार करने का मौका मिल गया। काफ़ी प्राबलम हल हो चुकी है बोड़ी सी बकाया है। मैं तसल्ली दिलाता हूं और यकीन दिलाता हूं कि मैं उसको मलबे बासा नहीं हूं। मेरा फर्ज है कि जिनका कि मैं मिनिस्टर हूं जिन के कि साथ मैं ने इतनी तकलीफात उठाईं और इतना वक़्त गुजारा, उनको भल जाने को अभी भी मेरे से तबबको ब करे। जो कुछ होगा इंसाफ की क से उनके साथ बर्ताव किया जायगा, पहले भी किया गया है और आगे भी करते रहेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: I put amendments 4, 5 and 6 to the House.

The amendment Nos. 4, 5 and 6 were put and negatived.

Mr Deputy-Speaker: The question is—

"That Clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Mr Deputy-Speaker: The question is—

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

Those in favour will say "Aye".

Some Hon. Members: Aye.

Mr. Deputy-Speaker: Those against will say "No".

Some Hon. Members: No.

Mr. Deputy-Speaker: The Ayes have it.

Some Hon. Members: The Noes have it.

Mr. Deputy-Speaker: Do they want to oppose the preamble?

Shri V. P. Nayar: Not the preamble, but the whole Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Then the hon. Member did not hear what I put to the House.

Shri V. P. Nayar: We heard. We wanted to raise our emphatic protest.

Mr. Deputy-Speaker: On clause 1?

Shri V. P. Nayar: On the whole Bill. We are asking for a division on the whole Bill.

Mr. Deputy-Speaker: When I put the question that the Bill be passed, that should be raised.

Shri V. P. Nayar: We have defeated them by voice, we do not want a count.

Mr. Deputy-Speaker: The Ayes have it.

The motion was adopted

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

Shri Mehr Chand Khanna: I beg to move:

"That the Bill be passed".

Shri Narayanankutty Menon rose—

Mr. Deputy-Speaker: Now we are late.

Shri Narayanankutty Menon: Only one point.

Mr. Deputy-Speaker: And one minute also. Motion moved:

"That the Bill be passed."

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Replying to the first reading of the Bill, the hon. Minister referred to the magnanimity shown to the refugees by the Government of India by providing about Rs. 200 crores. It is agreed on all hands that the Government of India have been magnanimous to the refugees, but the whole point involved here is not that anybody disagrees with the principle. If any one is in a position to pay the arrears of rent which by contract he is bound to pay and capriciously withholds payment, he should be dealt with, but who is going to decide that in a particular case there is paying capacity and wilful negligence to pay?

Our only complaint regarding the Bill is this, that from our experience of the administration of the Rehabilitation Ministry, discrimination is going to be practised, and this is a provision whereby discrimination could run rampant. If this provision is to be administered by officials, regarding whose conduct we have got ample experience, it is going to work havoc on a large number of poor refugees.

If anybody who is bound to pay, having got the money does not pay, certainly the penal provisions should be invoked in order that the Government may get the money, but if this provision is incorporated in the Bill, it is open to abuse; if the officials are given the opportunity to decide in which particular case there is paying capacity and in which particular case the man should go to jail, certainly justice is not going to be done.

Because the doors are wide open for making discrimination, as has been made even in the application of the Rs. 200 crores by the Rehabilitation Ministry, there is no alternative left but to oppose the Bill tooth and nail, because this is going to work havoc on the poor refugees, and the rich refugee whom this Bill is supposed to affect is going to remain scot-free. Since there is no safeguard or

guarantee that the officers will administer this provision with justice to the poor refugees, there is no alternative but to oppose this Bill.

"That the Bill be passed."

The Lok Sabha divided.
Ayes 118;

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Noes 37

Division No. 13]

[14.40 hrs.

AYES

Abdul Lateef, Shri
Achar, Shri
Aney, Dr. M.S.
Anjanappa, Shri
Arumugham, Shri S. R.
Ayyakannu, Shri
Babunath Singh, Shri
Bajaj, Shri Kamalnayan
Balmiki, Shri
Banerji, Shri P. B.
Berman, Shri
Basappa, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhargava, Pandit M. B.
Bhargava, Pandit Thekur Das
Bhatkar, Shri
Bhattacharyya, Shri C. K.
Biswas, Shri Bhola Nath
Birendra Singhji, Shri
Borooah, Shri P. C.
Chandak, Shri
Chaturvedi, Shri
Chuni Lal, Shri
Daljit Singh, Shri
Das, Shri K. K.
Das, Shri Shree Narayan
Desai, Shri Morarji
Dindod, Shri
Dwivedi, Shri M. L.
Ganapathy, Shri
Gandhi, Shri Perum
Gandhi, Shri M. M.
Ghosh, Shri M. K.
Hervani, Shri Anwar
Husada, Shri Subodh
Hem Raj, Shri I.
Jain, Shri M. C.
Jena, Shri K. C.
Jhunjhunwala, Shri
Jyotihi, Pandit J. P.

Kashiwal, Shri
Kedaria, Shri C. M.
Keshava, Shri
Kistaya, Shri
Kotaki, Shri Liladhar
Kureel, Shri B. N.
Lachhi, Ram, Shri
Lahiri, Shri
Mahida Ahmed, Shrimati
Masti, Shri N. B.
Malviya, Shri Motilal
Maniyargadan, Shri
Masunye Din, Shri
Mathur, Shri Harish Chandra
Mathur, Shri M. D.
Mehta, Shri B. G.
Mehta, Shri J. R.
Melkote, Dr.
Mishra, Shri Babhuti
Mishra, Shri M. P.
Misra, Shri R. D.
Misra Shri, R. R.
Mohiuddin, Shri
Morarka, Shri
Munisamy, Shri N. R.
Murmu, Shri Paika
Musafir, Ganji G. S.
Nair, Shri Kuttukrishnan
Narayanasamy, Shri R.
Neskar, Shri P. S.
Nayar, Dr. Sushila
Nehru, Shrimati Uma
Padalu, Shri K. V.
Padam Dev, Shri
Pandey, Shri K. N.
Pangarkar, Shri
Panna Lal, Shri
Patel, Shri Rajeshwar
Patil, Shri S. K.
Patilbhi Raman, Shri

Radha Raman, Shri
Ramaswami, Shri S. V.
Ranbir Singh, Ch.
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganatha
Raut, Shri Bhola
Reddy, Shri K. C.
Sedhu Ram, Shri
Sahu, Shri Rameshwar
Sagol, Sarder A. S.
Sawanta, Shri S. C.
Semanatunhar, Dr.
Sengarna, Shri
Setliff Chandra, Shri
Scindia, Shrimati Vijaya Raje
Selku, Shri
Sen, Shri A. K.
Sen, Shri P. G.
Sharma, Shri D. C.
Sharma, Shri R. C.
Siddhant, Shri
Singh, Shri Jang Bahadur
Singh, Shri K. N.
Singh, Shri M. N.
Sinha, Shri Gayendra Prasad
Sinha, Shri Satyendra Narayan
Subbarayan, Dr. P.
Sumat Prasad, Shri
Sunder Lal, Shri
Tantia, Shri Rameshwar
Tariq, Shri A. M.
Tewari, Shri Dwarikanath
Tula Ram, Shri
Ulke, Shri
Umrao Singh, Shri
Upadhyay, Pandit Munishwar Das
Verma, Shri R.
Vyas, Shri Radhakrishna
Wadiwa, Shri
Wanik, Shri Balakrishna

NOES

Anwar, Shri
Banerjee, Shri Pramadkumar
Banerjee, Shri S. M.
Bharucha, Shri Naushik
Chandrasekhar Kalo, Shri
Chandhuri, Shri T. K.
Chevan, Shri D. R.
Dangra, Shri B.

Galkwad, Shri B. K.
Aurobindo Ghosal, Shri
Ghose, Shri Subhman
Jadhav, Shri
Ker, Shri Prabhat J.
Katti, Shri D. A.
Khadikar, Shri
Kodiyam, Shri

Mafhi, Shri R. C.
Manay, Shri
Menon, Shri Narayanaipetty
Mohan Swarup, Shri
Mukherjee, Shri H. N.
Nair, Shri Vasudevan
Nayar, Shri V. P.
Pangrahi, Shri

NOES—Contd.

Patil, Shri U. L.
 Prodhan, Shri B. C.
 Punnoose, Shri
 Rai, Shri Khushwaq
 Rajendra Singh, Shri

Ram Garib, Shri
 Reddy, Shri Nagi
 Shastri, P. V.
 Singh, Shri D. N.

Sugandha, Shri
 Vajpayee, Shri
 Valvi, Shri
 Verma, Shri Ramji

The motion was adopted.

Some Hon. Members : Shame, shame.

14.45 hrs.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS* (1955-56)

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with discussion and voting on the Demands for Excess Grants (General) for 1955-56.

DEMAND No. 6—INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum of Rs. 1,01,173 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Indian Posts and Telegraphs Department' for the year ended the 31st day of March, 1956 "

DEMAND No. 24—MISCELLANEOUS EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum of Rs. 19,772 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Miscellaneous Expenditure under the Ministry of External Affairs' for the year ended the 31st day of March, 1956 "

DEMAND No. 30—STAMPS

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum of Rs. 11,95,551 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Stamps' for the year ended the 31st day of March, 1956."

DEMAND No. 39—MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS BETWEEN THE UNION AND STATE GOVERNMENTS

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum of Rs. 76,147 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Miscellaneous adjustments between the Union and State Governments' for the year ended the 31st day of March, 1956 "

DEMAND No. 51—CABINET

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum of Rs. 58,742 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Cabinet' for the year ended the 31st day of March, 1956 "

DEMAND No. 62—MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum of Rs. 4,16,808 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Ministry of Information and Broadcasting' for the year ended the 31st day of March, 1956 "

DEMAND No. 64—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS AND EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum of Rs. 2,57,163 be granted to the President to make

*Moved with the recommendation of the President.